

**REPORT OF THE JOINT COMMITTEE  
BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL  
CENTRAL ZONE, BHOPAL**

In the Matter of

**‘Tribunal on its own motion Suo Moto based on: News Item titled "khanij mafiyao ke hausle buland raet ghaat mein avaidh uttkhanan rokne gayi khanij team per jaanleva hamla gaadiyo mein todfod kisiki sheh prr gundagardi" appearing in Lalluram.com dated 30.01.2024’**

**Original Application No.89/2024 (CZ)**

**&**

**Original Application No.252/2024 (PB)**



**Date of Site Inspection: 30<sup>th</sup> April, 2024**

**Location: Gariaband, Chhattisgarh**

# INDEX

<b>S. No.</b>	<b>Particulars</b>	<b>Page No.</b>
1.	Background	01
2.	Constitution of Joint committee	01
3.	Term of reference to the Joint committee	01
4.	Meeting of the Joint committee	02
5.	Background of the area	03
6.	Submission of the State Mining Department	03
7.	Status of the statutory requirements	04
8.	Field observations of the committee	05
9.	Observation of the committee on ToR	06
10.	Conclusion and Recommendations	10
11.	Recommendations for preventing illegal sand mining	11
12.	Other recommendations	11
13.	Photographs of the visit	13-16
14.	Annexures 01 to 11	17 - 100

## **1. Background:**

The Hon'ble NGT, Principal Bench, New Delhi took Suo Moto cognizance of the present case based on the newspaper clip titled "khanij mafiyao ke hausle buland raet ghaat mein avaidh uttkhanan rokne gayi khanij team per jaanleva hamla gaadiyo mein todfod kisiki sheh prr gundagardi" appeared in Lalluram.com dated 30.01.2024 and registered in the Hon'ble NGT (PB), New Delhi as O.A. No. 252 of 2024.

In the above matter, Hon'ble NGT, Principal Bench, New Delhi vide its Order dated 20.3.2024 constituted a Joint Committee comprising of (i) State Pollution Control Board (ii) Regional Director, MoEF&CC (iii) Regional Director, Central Pollution Control Board and (iv) District Magistrate Gariaband and directed the said Committee to submit factual report within two months. Hon'ble Principal Bench transferred the matter to the Hon'ble NGT Central Zone Bench, Bhopal and the case is renumbered as O.A. 89 of 2024. In the above said Order dated 20.3.2024, Hon'ble NGT appointed the Central Pollution Control Board as nodal agency for coordination and compliance. The Order of the Hon'ble NGT, Principal Bench dated 20.03.2024 is enclosed as **Annexure-01**.

## **2. Constitution of Joint Committee:**

In compliance with the Order dated 20.3.2024 of Hon'ble NGT, New Delhi and based on the nominations received from the organizations concerned, a Joint Committee has been constituted by the Regional Directorate CPCB Bhopal vide letter No.74 dated 09.4.2024, comprising the following members:

- (i). Sh. P. Jagan, Regional Director, CPCB, Bhopal.
- (ii). Dr. M.T. Karuppiah, Scientist-E, MoEF&CC, Sub-Office, Raipur.
- (iii). Sh. Vishal Maharana, Deputy Collector, Gariaband.
- (iv). Sh. Prasanna Sonkar, AE, CECB, Regional Office, Raipur.

The committee constitution letter dated 9.04.2024 is enclosed as **Annexure-02**.

## **3. Terms of reference (ToR) to the Joint Committee:**

The Terms of the Reference (ToR) to the Joint Committee referred therein the Order dated 20.03.2024 of Hon'ble NGT in the above matter inter-alia include the following:

- (i). Committee shall visit the site, collect relevant information and submit a factual report within two months before Registrar of Central Zonal Bench at Bhopal.
- (ii). To assess whether the alleged illegal sand mining taking place in Kutena, village Panduka of Gariaband district of Chhattisgarh and action initiated / taken, if any, on excavation and transportation of sand from the said areas.
- (iii). Any damage has been caused to the environment and river ecology.
- (iv). Steps taken under the provisions of Environment Protection Act, 1986 and Environmental laws against the violators for causing damage to the environment by indulging in illegal mining.

#### **4. Meeting of the Joint Committee:**

An introductory meeting of the Joint Committee was held on 25.04.2024 (AN) through video conferencing. All the members of the Joint Committee were present and deliberated the ToR to the Committee and the issues involved therein, which inter-alia include the following:

- (i). To collect District Survey Report (DSR) of the area from Directorate of Geology and Mining & Mineral Resource Department.
- (ii). To collect information about status of FIR and its present status.
- (iii). Information about constitution of District Level Task Force.
- (iv). Collection of information regarding EC/CTO/Permission accorded by Government for sand mining in this area, if any.
- (v). Land use of area under question as per revenue record.
- (vi). Quantity of sand illegally mined and seized during the incident.

Committee was informed by the officers of District Mining office, Gariabandh that the incident of alleged illegal sand mining occurred on 29.01.2024 at Kutena village near Panduka of Gariabandh at the bank of Pairi River which is a tributary of the Mahanadi. When the information regarding illegal mining was received by the team of mining department, they immediately rushed to the site and on reaching the said site in mid night, the team of the Officers observed that 2 Hyva truck and 3 chain mounted digging machines were deployed for illegal sand excavation from river site. The mining officer, who visited the site, seized the 02 Hyva trucks deployed for illegal sand mining and reported the incident to the nearest police

station. During this event an accused party forcefully snatched one chain mounted digging machine from the officials and created threat and hindrance for performing their official duties. In this regard, a complaint was lodged by the mining office and in this regard FIR has been filed on 30/01/2024 against Mahesh Chabda, Suresh Sahu, Kaliram Sahu, Rahul Bandhekar and Ors. On the basis of the FIR, 07 persons were arrested. Thus, immediate action was taken by the District Administration. Copy of FIR filed and subsequent chargesheet issued is enclosed as **Annexure-03**.

In continuation to the meeting held, site inspection of the area under question was undertaken by the Joint Committee on 30.04.2024 in presence of the Officers from the Revenue authority concerned, Officers from State Mining Department, Sarpanch of the area. List of participants in the inspection is placed as an **Annexure-04**. An opportunity was given to the local residents to submit their views before the Committee. During the site inspection all the members of the Joint Committee were present and discussed the facts, issues and the Terms of the Reference (ToR) to the Joint Committee referred therein the Order dated 20.3.2024 of Hon'ble NGT.

#### **5. Background of the area under question:**

Pairi River is one of the important tributaries of River Mahanadi. This river originates from the Bhatigarh hills located near Bindranavagarh of Gariaband District and it joins the Mahanadi near Rajim, Gariaband district in Chhattisgarh. The total length of this river is 130 KM and total 49.56% area of the district is being irrigated through this river. Pairi River flows north from here and makes "Triveni Sangam" at Rajim.

#### **6. Submission of the State Mining Department:**

As per the information given by Mining Officer, Gariaband, the mining was carried out on very small part of Khasra no. 01. The incident of alleged illegal sand mining took place in revenue land and transportation route of vehicle is in private land, the written submission made available by Patwari is enclosed as **Annexure-05**. District Mining Officer, Gariaband also informed that presently no sand mining leases are allotted at river bank at Kutena village. The mining department also informed that in last four years during 2020 to 2024, total 26 incidents of illegal sand transportation and 02 incidents of illegal sand mining were reported and action has been taken in accordance to rules. The information made available by the mining department is enclosed as **Annexure-06**.

## **7. Status of Statutory requirements:**

In pursuance to the Order dated the 27<sup>th</sup> February, 2012 of Hon'ble Supreme Court of India in I.A. No.12- 13 of 2011 in Special Leave Petition (C) No.19628-19629 of 2009, in the matter of Deepak Kumar etc. Vs. State of Haryana and Others etc., prior environmental clearance become mandatory for mining of minor minerals irrespective of the area of mining lease. Ministry of Environment, Forest and Climate Change in consultation with State Governments has prepared Guidelines on Sustainable Sand Mining detailing the provisions on environmental clearance for cluster, creation of District Environment Impact Assessment Authority and proper monitoring of sand mining using information technology and information technology enabled services to track the mined-out material from source to destination. Therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 read with clause (d) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government vide notification S.O. 141(E) dated 15<sup>th</sup> January, 2016 made amendments in the EIA notification, 2006 incorporating District Environment Impact Assessment Authority (DEIAA) for matters falling under Category 'B2' for mining of minor minerals in the said Schedule.

The term 'minor mineral' is defined in clause (e) of Section 3 of Mines and Minerals (Development and Regulation) Act (MMDR Act) 1957: '3 (e) "minor minerals" means building stones, gravel, ordinary clay, ordinary sand other than sand used for prescribed purposes and any other material which the Central Government may, by Notification in the Gazette of India declare to be a minor mineral. The term 'ordinary sand' used in clause (e) of Section 3 of the MMDR Act, 1957 has been further clarified in rule 70 of the MCR, 1960.

Accordingly, the Central Government had constituted the District Level Environment Impact Assessment Authority (DEIAA), for grant of environmental clearance for Category 'B2' Projects for mining of minor minerals, for all the districts in the country. However, in compliance with the order dated 13.09.2018 of Hon'ble NGT-PB in O.A. No. 186 of 2016 titled Satendra Pandey Vs MoEF&CC & Ors., DEIAAs are not functioning, since October, 2018 and such projects are being dealt by the respective State Environment Impact Assessment Authority (SEIAA). As part of Post environmental clearance monitoring, MoEF&CC vide its notification S.O. 637(E) dated 28.02.2014 has delegated the powers to State/Union Territory Environmental Impact Assessment Authority to issue show cause notice to project

proponent in case of violation of Conditions of Environmental Clearance issued by the said authority and to issue direction for keeping the said EC in abeyance or withdrawing it. Thus, for category 'B' projects SEIAAs are responsible for EC monitoring. Based on the information made available to the Committee, it has been observed that in the present case no environmental clearance has been accorded for sand mining in the alleged area under dispute.

**Illegal Mining:** In accordance with the Judgment dated 02.08.2017 of Hon'ble Supreme Court of India in W.P. No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause Vs Union of India & Ors., any mining activities which are not governed under the provision of Environment (Protection) Act, 1986, The Water (Prevention & Control of Pollution Act, 1974, The Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981, Forest Conservation Act, 1980, Wildlife Protection Act, 1972, shall be considered as illegal mining within the provision of section 21(5) of Mines and Minerals (Development & Regulation) Act, 1957 (MMDR Act) and the concerned authority shall take necessary action within the provision of MMDR Act. As per the provision of 23(C) of MMDR Act, the State Government is empowered to make rules for preventing illegal mining, and transportation & storage of illegal minerals.

## **8. Field Observations of the Committee:**

(i). GPS location of the River Pairi at Kutena village has been recorded using a mobile-based GPS application. The google map of the alleged sand mining site and photographs taken during the inspection are enclosed herewith. The geographical coordinates of Kutena mining site are 20°46'18.34''N, 81°55'28.16''E.

(ii). Committee visited the stretch of River Pairi located near Kutena village. On the day of site inspection, no tractors, dumpers, trollies and sand excavation activity were observed at Pairi River bank at Kutena. No transportation of sand was observed by the Committee at the time of visit. However, observed small size tranche and pits filled with water during visit.

(iii). The Gram Panchayat on 30.01.2024 wrote a letter to the District Collector and requested for prevention of illegal mining at Pairi River. Gram Panchayat also informed that they have not accorded any permission to any contractor and the said letter is enclosed as **Annexure-07**.

(iv). During the visit, there is no flow in the River. However stagnant water available in small patches was observed at the site of incident which is also indicated

that there is no any sand mining activity in the recent past, since no tyre and other vehicles impression was seen.



Google view of Kutena village with site of alleged at Pairi River

**9. Observation of the Joint Committee on the ToR to the Committee and recommendations:**

**(i). Whether there is any illegal mining of sand taking place in Kutena, Panduka of Gariaband district and any action has been taken on excavation and transportation of sand from the said areas.**

As per Rule (3) of Chhattisgarh Minor Mineral Ordinary Sand Quarrying and Trade (for scheduled areas) Rules, 2023, quarrying and transportation of sand may be carried out in accordance with and subject to the conditions prescribed in these rules by Gram Panchayat/Urban body in the Scheduled areas of the State. As per Rule (4) for obtaining any sand quarry lease, the concerned Gram panchayat needs to submit an application in Form-1 to the Mining section of the concerned District. In accordance with sub-rule (4) of rule (8) of Chhattisgarh Minor Mineral Ordinary Sand Quarrying and Trade (for scheduled areas) Rules, 2023,

based on fulfilment of the conditions specified in sub-rule (3) of rule (8), the Sanctioning Authority may grant quarry lease to the concerning Gram Panchayat/Urban body. Rule 14 stipulates to form flying squads at district and directorate level for effective control on illegal Quarrying/transportation/ storage of ordinary sand and other minerals.

Based on the information made available by the District Mining Officer, the Committee observed that no permission for sand mining has been accorded in this area. This area comes under Scheduled area and thus Kutena Panchayat can only obtain the permission of sand mining from the District Collector as per the procedure mentioned in Gazette notification dated 19.01.2023, which is enclosed as **Annexure-08**. As informed by the Sarpanch, so far, the panchayat has not applied seeking permission for sand mining due to their constraints and lack of awareness on the procedures of getting EC and other NOCs.

Based on the documents made available by the Mining Department, the Committee observed that an incident of illegal sand mining was reported on 30.01.2024. On the day of the illegal mining incident 2 Hyva trucks and 3 chain mounted machines were deployed for illegal sand excavation from River site. After receiving information, the mining officer reached the site and seized the vehicles involved in mining and sent to nearest police station. While taking seized vehicles to the police station, accused party forcefully snatched the chain mounted machine from the officials and created hindrance in performing the official duty. The Mining Inspector on duty lodged a complaint. Based on the complaint Police Authority filed FIR on 30.01.2024 at police station of Panduka under Cr.P.C. Based on the FIR filed, police arrested 4 persons and 3 are absconded from the spot. Later police arrested the other 3 absconded members too. The copy of the FIR and brief submitted by the in-charge of the concerned Police Station is submitted under para 4 as Annexure-3.

The mining department seized two vehicles (Hyva) bearing the registration No.CG-07-CP-8195 and CG-07-CN-9029 and imposed penalty of Rs. 26500/- each and the same has been challenged before the Chief Judicial Magistrate, Gariaband District on 06.02.2024. The said matter is under sub-judice. The details of the seized vehicle i.e. name of owner, vehicle number, quantity of sand seized, penalty imposed and correspondence in this regard with Chief Judicial Magistrate, Gariaband District for both the vehicles are enclosed as **Annexure-09**.

As per report of Assistant Mining Officer of the Gariaband District, as

mentioned above two vehicles seized and 3 m<sup>3</sup> sand was filled in each vehicle. The total market value of the 6 m<sup>3</sup> sand was Rs.2700/-

**(ii). Whether any permissions have been issued for excavation and transportation of sand as per DSR from the said areas.**

As per DSR of Gariaband district 2019, 5.0 hector sand area identified in Khasra No. 01 of Tehsil Chura of village Kutena at River Pairi, however it is not allotted for mining purpose. The Sarpanch of the area also informed that so far neither panchayat sought permission from Government nor given any permission to anyone for mining and transportation of sand from Kutena village, the copy of the 2019 DSR of Gariaband district is enclosed as **Annexure-10**. To keep vigil on any illegal mining and transportation activity of sand in sensitive areas of the district a task force committee has been constituted by District Administration comprising the members of District Administration, Mining, Police and RTO. The said order of the Committee is enclosed as **Annexure-11**.

**(iii). Whether there are any ditches formed in the said areas.**

Though, there was an incident of reported illegal sand mining, the alleged mining activity has been stopped immediately by the Officers concerned and the excavated mineral (sand) has not been transported. However, during visit observed small size tranche and pits filled with water. The District level task force Committee also keep vigil over the area.

**(iv). Environmental compensation**

As per Rule 21 of MMDR, Act 1957 and Rule 71 of Chhattisgarh Minor Mineral Rules, 2015, State Mining Department seized the vehicles deployed and imposed penalty of Rs. 26500/- on each vehicle. As per FIR document total 6 m<sup>3</sup> (3+3) sand had been excavated by two Hyva machines and mining team caught them at the early stage of mining and thus the accused could not excavate more quantity of sand.

As per O.A. No. 360/2015 in the matter of National Green Tribunal Bar Association Vs. Virendra Singh (State of Gujarat) at Hon'ble NGT (PB) New Delhi, a report was prepared by a committee to recommend a scale of compensation to Hon'ble NGT (PB) to deal with cases of illegal sand mining in whole of country.

The committee considered two approaches: Approach 1: Direct Compensation based on the market value of extraction, adjusted for ecological damages and Approach 2: Computing a Simplified Net Present Value (NPV) for ecological damages.

Based on the above report, Hon'ble NGT vide order dated 26.02.2021 directed that the scale of operation of compensation as per report dated 30.01.2020 (Approach - 2) was to be adopted by all States/UTs and Environment Secretary to evolve an appropriate mechanism for assessment of compensation in all Districts of the State and for utilisation of recovered compensation for restoration of environment by preparing appropriate action plan.

Further, in compliance of NGT order dated 26.02.2021, CPCB vide letter dated 11.06.2021 issued directions to Environment Secretaries of States/UTs to evolve an appropriate mechanism for assessment of compensation in all Districts of the State and for utilization of recovered compensation for restoration of environment by preparing appropriate action plan. Chhattisgarh State yet to formulate State specific Environment Compensation (EC) formula and thus Approach-2 as mentioned above has been used for imposing EC, the formula calculation as given below:

“Compensation Charge (Scenario II - explicit accounting of NPV). In situations where the risk categorisation is unavailable or pending calculation, the following Discount Rates may be considered:

<i>Severity</i>	<i>Mild</i>	<i>Moderate</i>	<i>Significant</i>	<i>Severe</i>
<i>Risk Level</i>	1	2	3	4
<i>Risk Factor (RF)</i>	0.25	0.50	0.75	1.0
<i>Discount (r)</i>	8%	7%	6%	5%

Market Value<sup>#</sup> of Illegally Mined Material (D)  $1089 \times 6 = \text{Rs. } 6534/-$

Annual Value of Foregone Ecological Values (D\*RF)  $6534 \times 1 = \text{Rs. } 6534/-$

- The market value of material (Sand) as per PWD CG 2022 NH Zone it is Rs. 1089/- per m<sup>3</sup>, hence committee decided to take latest and higher side market rate for EC calculation.
- 6 m<sup>3</sup> sand seized during raid of mining department.
- RF=1 as severe risk factor taken for calculation.

**Formula for Present Value of Foregone Ecological Values (@ 5% discount rate and over 5 years (t) is:**

$$PV = \sum_{t=1}^5 \left( \frac{D*RF}{(1+r)^t} \right)$$

Therefore, Present value as calculated will be:

$$PV = \left( \frac{6534}{(1+0.05)^1} \right) + \left( \frac{6534}{(1+0.05)^2} \right) + \left( \frac{6534}{(1+0.05)^3} \right) + \left( \frac{6534}{(1+0.05)^4} \right) + \left( \frac{6534}{(1+0.05)^5} \right)$$

$$PV = 6222.85 + 5926.53 + 5644.31 + 5375.54 + 5119.56$$

$$PV = \text{Rs. } 28288.8/-$$

$$PV \sim \text{Rs. } 28289/-$$

Net Present Value (NPV) = PV-D

$$NPV = 28289-6534 = \text{Rs. } 21755/-$$

In view of the above Environmental compensation of Rs 21,755/- (rupees twenty-one thousand seven hundred and fifty-five only) may be imposed on the violators who are committed / associated in the illegal mining and transportation of sand. The District Collector, Gariaband may recover the same from the violators.

## **10. Conclusion and Recommendations: -**

The Committee noted that District administration has taken action against the violators under MMDR Act, 1957 and Chhattisgarh Minerals Rules, 2015 and seized the vehicles deployed for illegal mining and arrested 07 persons under various sections of Indian Penal Code 1860 and the matter is under trial. The District administration also imposed penalty of Rs 25,000/- under Rule 71(5) of Chhattisgarh Minerals Rules, 2015 and a penalty of 53000/- (26500 + 26500) on two seized vehicles.

For the violation that took place on 29/01/2024, the Committee recommends to levy an Environmental compensation of Rs.21,755/- on the violators who committed the illegal sand mining and transportation. The District Collector, Gariaband may recover the same from the violators. Further, Environmental compensation may also be levied by Mining Department on vehicles deployed in the illegal mining as per Order dated 26.02.2021 of Hon'ble NGT-PB in O.A. No.360/2015.

Further, the Committee suggests the following recommendations to adopt the authorities concerned.

### **11. Recommendations for preventing illegal sand mining:**

- (i). District authorities shall strengthen the site inspections mechanism by the Revenue Department and Mining Department of the State Government at regular intervals.
- (ii). The State Government should provide adequate manpower, police security and vehicles etc. to the authorities concerned for regular monitoring of illegal sand mining, if any.
- (iii). Entry of heavy vehicles and digging machinery strictly be prohibited in the river bed.
- (iv). Warning boards intimating the penalty for illegal mining and transportation of sand should be placed by the Mining Department at village Kutena, along with contact details/phone/mobile of the official to whom the information/complaint can be made, if any one who notices illegal mining.
- (v). The Mining Department of the State should keep vigil on the river and if any kind of unauthorized construction of passage for vehicle or obstacle to flow of water is observed, concerned Officer(s) shall take immediate action.
- (vi). All precaution shall be taken by Mining Department and Water Resources Department of the State to ensure that the water stream flows unhindered and process of natural river meandering doesn't get affected. The District Administration shall remove the unauthorised pathway made, if any, across the river near village Kutena.
- (vii). The State Environment Department may evolve an appropriate mechanism for assessment of compensation in all districts of the Chhattisgarh State and for utilization of recovered compensation for restoration of environment by preparing appropriate action plan as per order dated 26.02.2021 of Hon'ble NGT-PB in O.A. No.360/2015 and directions dated 11.06.2021 of CPCB.

### **12. Other recommendations:**

- (viii). DSRs needs to be prepared very carefully, based on physical surveys and replenishment studies. DSR needs to be regularly updated, since sand deposition is in dynamic nature. While awarding sand mining leases,

important factors viz. deposition and replenishment of sand, areas of erosion, distance from infrastructural structures need to be considered.

- (ix). The mining department should ensure compliance of provisions of EIA Notification, 2006, Sustainable Sand Mining Guidelines, 2016; Enforcement and Monitoring guidelines for sand mining 2020; The Environment (Protection) Act, 1986; The Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974; The Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 and the Regulations of Central Ground Water Authority.
- (x). Chhattisgarh Environment Conservation Board (CECB) shall ensure that all the sand mining projects accorded EC are being operated only after obtaining requisite CTE/CTO under Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974, the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981.
- (xi). Geo-fencing of sites, their physical demarcation, allotment of geocoordinates to all the pillars and its constant physical inspection and electronic surveillance is a must to ensure that the mining activity is as per the approved mining plan and no illegal mining and detrimental to the environment.
- (xii). Awareness shall be created to the villagers about utilisation of sand from scheduled area by obtaining proper permissions from the authorities concerned.

गान

**Shri. P. Jagan**  
Regional Director, CPCB,  
Bhopal

विशल

**Shri. Vishal Maharana**  
Deputy Collector,  
Gariaband

M. Karupiah

**Dr. M.T.Karupiah**  
Scientist-E MoEF&CC,  
Sub-Office, Raipur

Prasanna Sonkar

**Shri. Prasanna Sonkar**  
AE, CECB, Regional Office,  
Raipur

अनूप चतुर्वेदी

**Dr. Anoop Chaturvedi**  
Scientist-B, CPCB, Bhopal

## Photograph of the Committee visit





**View of the alleged Mining site at village Kutena, Gariaband**





**View of Pairi River**





View of Pairi River



Item No. 05

Court No. 2

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL  
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI**

Original Application No. 252/2024

News Item titled "khanij mafiyao ke hausle buland raet ghaat mein avaidh uttkhanan rokne gayi khanij team per jaanleva hamla gaadiyo mein tod fod kisiki sheh prr gundagardi" appearing in Lalluram.com dated 30.01.2024

Date of hearing: 20.03.2024

**CORAM: HON'BLE MR. JUSTICE SUDHIR AGARWAL, JUDICIAL MEMBER  
HON'BLE DR. A. SENTHIL VEL, EXPERT MEMBER**

Respondent: Mr. Abhinay Sharma, Ms. Deeksha Prakash & Ms. Kirti Vyas, Advs. for  
CECB  
Mr. Saurabh Balwani, Adv. for CPCB (Through VC)

**ORDER**

1. This Original Application under Sections 14 and 15 of National Green Tribunal Act, 2010 (hereinafter referred to as '**NGT Act, 2010**') has been registered in exercise of *suo moto* jurisdiction based on a news item published in Lalluram.com, dated 30.01.2024 under the title "khanij mafiyao ke hausle buland raet ghaat mein avaidh uttkhanan rokne gayi khanij team per jaanleva hamla gaadiyo mein tod fod kisiki sheh prr gundagardi".
2. News item shows that illegal mining, excavation of minerals and sand is being carried out in Panduka area of Gariaband District State of Chhattisgarh.
3. Report shows that heavy machinery and trucks loaded with illegally mined minerals have been seized.
4. On advance notice given, reply has been filed by Chhattisgarh Environment Conservation Board stating that FIRs have been registered against the persons who were found indulged in illegal mining. It is also said that they have attacked the raid team and vehicles indulging in

illegal mining have also been seized and matter is under further investigation. However, we do not find any reply as to what steps have been taken under the provisions of Environment Protection Act, 1986 (hereinafter referred to as **EP Act, 1986**) and environmental laws against the violators for causing damage to the environment by indulging in illegal mining.

5. In our view, substantial question relating to environment has arisen due to implementation of scheduled enactments under NGT Act, 2010. However, before taken any further action in the matter, we find it appropriate to obtain a factual report for which purpose we constitute a joint committee comprising State Pollution Control Board, Regional Director/Regional Officer, MoEF&CC, CPCB, District Magistrate, Gariabad.

6. CPCB shall be the nodal agency for coordination and compliance.

7. Committee shall visit the site, collect relevant information and submit a factual report within two months before Registrar of Central Zonal Bench at Bhopal.

8. Since the matter relates to State of Chhattisgarh, records of this application shall be transmitted to Central Zonal Bench at Bhopal for further consideration.

9. List on 03.07.2024.

Sudhir Agarwal, JM

Dr. A. Senthil Vel, EM

March 20, 2024  
Original Application No. 252/2024  
JG.



क्षेत्रीय निदेशालय (मध्य), भोपाल  
**केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड**  
(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार)



Annexure-02

क्षे.नि.भो./एन.जी.टी. ओए-252/2024/74-78

दिनांक: 09 अप्रैल, 2024  
**एन.जी.टी. प्रकरण**

प्रति,

उप-महानिदेशक वन (C) एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भू-तल, अरण्य भवन, नॉर्थ ब्लॉक, सैक्टर-19, नया रायपुर-492002 (छ.ग.)	कलेक्टर कार्यालय बहेराबुड़ा, डोंगरीपारा जिला- गरियाबंद छत्तीसगढ़-493889	सदस्य सचिव छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल पर्यावास भवन, सैक्टर-19, नया रायपुर-492002 (छ.ग.)
--	--	--

विषय: माननीय एनजीटी प्रिंसिपल बैंच, दिल्ली के प्र.क.-252/2024, माननीय एनजीटी द्वारा स्वतः संज्ञान में पारित आदेश दिनांक: 20/03/2024 के अनुपालनार्थ।

संदर्भ: इस कार्यालय का पत्र क्र.: क्षे.नि.भो./एन.जी.टी. ओए-252/2024/2480 दिनांक: 26/03/2024 महोदय,

कृपया उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें (सुलभ संदर्भ हेतु पत्र संलग्न) जिसके माध्यम से माननीय एनजीटी द्वारा प्र.क.-252/2024 में पारित आदेश के माध्यम से 04 सदस्यीय समिति के गठन हेतु नर्देश प्रदान किया गया था। उपरोक्त के परिपालन में सभी संबंधित विभागों से प्राप्त नामांकन के आधार पर निम्न समिति का गठन किया गया है तथा समिति द्वारा दिनांक: 24 अप्रैल, 2024 को स्थल निरीक्षण किया जाना प्रस्तावित है।

क्र.	नाम व पदनाम	सम्पर्क विवरण
01	श्री पी. जगन, क्षेत्रीय निदेशक केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल	ई-मेल: cpcb.bhopal@gov.in मो.नं. 9755559745
02	डॉ. एम.टी. करुपियाह, वैज्ञानिक-ई, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत कार्यालय, रायपुर	ई-मेल: mtkarupiah@gmail.com मो.नं. 9840390069
03	श्री विशाल महाराणा, डिप्युटी कलेक्टर, गरियाबंद	-
04	श्री प्रसन्ना सोनकर, सहायक अभियंता, क्षेत्रीय कार्यालय, छ.ग.प.सं.मं., रायपुर	ई-मेल: rocecbraipur2014@gmail.com मो.नं. 7987860044

उपरोक्त समिति द्वारा प्रश्नगत स्थल पाण्डूका क्षेत्र, जिला- गरियाबंद, छत्तीसगढ़ स्थित महानदी का संयुक्त निरीक्षण माननीय एनजीटी द्वारा पारित आदेश के बिंदु क्रमांक-5 में निर्देशित बिंदुओं के आधार पर किया जाना है तथा Factual and Action Taken Report दिनांक: 20/05/2024 तक अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जाना है। इस बाबत केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को नोटल एजेंसी नियुक्त किया गया है।

भवदीय,

(पी. जगन)  
क्षेत्रीय निदेशक

संलग्नक: यथोपरि।

प्रतिलिपि:

- श्री नजीमुद्दीन, वैज्ञानिक-एफ एवं विभाग प्रमुख, IPC-II. } की ओर कृपया सूचनार्थ।
- डिविजनल हेड, विधि विभाग., के.प्र.नि.बो., दिल्ली }

क्षेत्रीय निदेशक

“राजभाषा हिन्दी में पत्र व्यवहार का स्वागत है”

पता: “परिवेश भवन”

पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कालोनी, भोपाल-462016

ईपीएवीएफस : 0755-2775384/85/86

ई-मेल: cpcb.bhopal@gov.in

मुख्यालय:

परिवेश भवन

पूर्वी अर्जुन नगर, दिल्ली-110032

दूरभाष क्र : 011-43102030

वेबसाइट: [www.cpcb.nic.in](http://www.cpcb.nic.in)

“सिंगल यूज प्लास्टिक” का करें बहिष्कार

AC

// कार्यालय थाना प्रभारी थाना पाण्डुका, जिला गरियाबंद (छ.ग.) //

क्रमांक/था.प्र./पाण्डुका/ 934 /2024

दिनांक 18/03/2024

प्रति,

श्रीमान उपनि एवं ग्रिफ्ट पुलिस अधीक्षक महोदय,

जिला गरियाबंद (छ.ग.)

विषय :-

Notice of hearing in Suo Moto matter in re; News item appering in lalluram.com dated 30-01-2024 entitled खनिज मन्त्रियों के हीसते बुलंद रेत घाट में अवैध उत्खनन रोकने गई खनिज टीम पर जानलेवा, गडियों में की तोड़फोड़ किसकी शह पर गुडामर्दी?

संदर्भ :-

क्रमांक-उपनि/ग्रि/रीडर/166/2024

दिनांक 18.03.2024

---000---

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के माध्यम से Notice of hearing in Suo Moto matter in re; News item appering in lalluram.com dated 30-01-2024 entitled खनिज मन्त्रियों के हीसते बुलंद रेत घाट में अवैध उत्खनन रोकने गई खनिज टीम पर जानलेवा, गडियों में की तोड़फोड़ किसकी शह पर गुडामर्दी के संबंध में पेपर क्लारन प्राप्त हुआ है, जिसके संबंध में की गई कार्यवाही की अद्यतन स्थिति की जानकारी चाही गई है। तत्संबंध में दिनांक 30.01.2024 को प्रकरण के प्रार्थी खनिज निरीक्षक सुभाष चंद्र साहू पिता श्री ब्रजल राम साहू उम्र 35 वर्ष साक्षिन् स्थित लाईन गरियाबंद थाना सिटी कोतवाली गरियाबंद जिला गरियाबंद (छ.ग.) अपने स्टाफ के साथ दिनांक 29.01.2024 को ग्राम कुटेना के नदी घाट में अवैध रेत उत्खनन की शिक्रयत प्राप्त होने पर उच्च अधिकारी के आदेश पर निजी वाहन स्कार्पियो क्रमांक सीजी 23-6119 से हमराह स्टाफ नगर सैनिक राजेश भारद्वाज, हरिशंकर निचाद, दैनिक वेतन भोगी वाहन चालक नंदकुमार साहू एवं प्रॉपेट वाहन चालक जुबैर खान के साथ रात्रि में कुटेना रेत खदान में निरीक्षण करने गये मौके में दो हाईवा क्र० सीजी 07 सीएन 9029 एवं क्र० सीजी 07 सीपी 8195 एवं तीन चैन माउटेन मशीन अवैध उत्खनन करते पाया गया जिसमें से दो चैन माउटेन व्र आपरेटर चैन माउटेन को छोड़कर भाग गये मौके पर दो हाईवा क्र० CG-07, CN-9029 एवं क्र० CG-07, CP-8195 एवं एक चैन माउटेन में आपरेटर मिला जिसे जप्त कर हाईवा क्र० सीजी 07 सीएन 9029 में नगर सैनिक हरिशंकर निचाद हाईवा क्र० सीजी 07 सीपी 8195 में नगर सैनिक राजेश भारद्वाज तथा चैन माउटेन मशीन में नंद कुमार साहू को बैठाकर थाना पाण्डुका के लिये रवाना किया गया शेष 02 माउटेन को मौके पर छोड़कर आ रहे थे प्रार्थी अपनी गड्डी में प्रॉपेट चालक जुबैर खान के साथ जिस चैन माउटेन में नंद कुमार साहू को बैठाकर उसके पीछे पीछे स्कार्पियो वाहन से पुलिस थाना पाण्डुका आ रहा था कि करीबन रात्रि 12.10 बजे जैसे ही नदी घाट के उपर पहुंचे वे की उसी समय सामने से एक सफेद रंग के बोलेरो क्रमांक सीजी 23 जे 8605, एक सफेद रंग के कार क्रमांक सीजी 04 एम 5562 एवं एक इनोवा कार जैसे लंबी वाहन से महेश अमर, सुरेश उर्फ सुरेन्द्र साहू, कसीराम साहू, राहुल बांधेकर के साथ करीबन 10 से 15 लोग चैन माउटेन के सामने अपने गड्डी को रोककर ताठी, डण्डा व राड से लैस होकर उतरे तथा चैन माउटेन में बैठे नंद कुमार साहू से चैन माउटेन मशीन की चाबी छीनकर सभी एक राय होकर रास्ता रोककर प्रार्थी को लोक सेवक होना जानते हुये भी उसके निर्वहन कार्य में बाधा डालते

हुये महेश छवडा प्रार्थी का कालर पकड कर गाडी से खींचकर मां यहन की अश्लील गाली गलौच करते हुये तुम लोग हमारी गाडी को ले जाओगे तो तुम लोगो को जान से खतम कर दोगे कहते हुये महेश छवडा द्वारा बाये गाल पर एक थप्पड मारा है तथा उन लोगो के द्वारा पकडे हुये लाठी डण्डा व राड से प्रार्थी के प्रायवेट स्कार्पियो वाहन में तोड फोड कर नुकसान पहुंचाया है कि रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 21/2024 धारा 341, 294, 506, 323, 147, 148, 149, 353, 186, 427 भादवि. पंजीबद्ध कर विवेचना कार्यवाही में लिया गया। विवेचना दौरान प्रार्थी के आयी घोट का मुलाहिजा जिला अस्पताल गरियाबंद से कराया जाकर प्रकरण में अपराध धारा 332 भादवि का घटित करना पाये जाने से धारा 332 भादवि जोडी गई। प्रकरण के विवेचना दौरान आरोपी कलीराम साहू, पिता स्व. लखन साहू उम्र 63 वर्ष ग्राम कुटेना धाना पाण्डुका को दिनांक 31.01.2024 के 11.20 बजे एवं तहसीलदार के समक्ष प्रार्थी से पहचान कार्यवाही कर आरोपी 1. सुरेन्द्र कुमार बिरजे पिता वुदु राम बिरजे उम्र 48 वर्ष, 02. टीकराम पिता राम लाल साहू उम्र 51 वर्ष, 03. लोकेश साहू पिता किशन लाल साहू उम्र 33 वर्ष, 04. खुसुराम पिता बुधु राम महिसागि उम्र 51 वर्ष, 05. महेन्द्र साहू पिता लाल जी साहू उम्र 46 वर्ष, 06. विमल साहू पिता नेहरु साहू उम्र 37 वर्ष सभी निवासी ग्राम कुटेना धाना पाण्डुका, जिला गरियाबंद (उ.ग.) को 20.02.2024 के क्रमशः 22.20, 22.30, 22.40, 22.50, 23.00, 23.10 बजे विधिवत गिरफ्तार कर ज्युडिसियल रिमांड पर भेजा गया था एवं प्रकरण के शेष आरोपी 01. महेश छवडा पिता लालचंद छवडा साकिन वार्ड क्र. 23 गोकूल काटिका धमतरी 02. राहुल बांधेकर पिता उमेन्द बांधेकर ग्राम चरमुडिया धाना कुस्ड 03. सुरेश उर्फ सुरेन्द्र साहू पिता कलीराम साहू ग्राम कुटेना धाना पाण्डुका जिला गरियाबंद का लगातार पता साजी किया गया जो घटना दिनांक से स्कूनात से फरार होने से फरारी पंचनामा तैयार कर घल अचल संपत्ति की जानकारी संबंधित तहसील कार्यालय से प्राप्त किया गया। फरार आरोपी के विरुद्ध साक्ष्य संकलन करना है जिसके कारण धारा 173(8) जाफ्री. में विवेचना कार्यवाही सुरक्षित रखते हुये गिरफ्तार एवं फरार आरोपीगणो के विरुद्ध अपराध धारा 341, 294, 506, 323, 147, 148, 149, 332, 353, 186, 427 भादवि. का पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने से अभियोग पत्र क्रमांक 29/2024 दिनांक 28/02/2024 तैयार कर माननीय जेएमएफसी न्यायालय राजिम में दिनांक 29.02.24 को अभियोग पत्र पेश किया गया है, जिसका केश नंबर 324/2024 प्राप्त हुआ है। प्रकरण में फरार आरोपीगण का फतासाजी कर पूरक अभियोग पत्र माननीय न्यायालय पेश किया जायेगा।

अतः श्रीमान जी जानकारी सादर प्रेषित है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

  
 जिला प्रभारी  
 राजिम, छत्तीसगढ़  
 जिला गरियाबंद (उ.ग.)

### :: प्रोफार्मा

क.	धाना का नाम	अपराध क्रमांक धारा	घटना दिनांक / स्थल	कायमी दिनांक	प्राथी	घटना का संक्षिप्त विवरण	नाम आरोपी एवं गिरफ्तारी दिनांक	धातान क./पेश दिनांक	गिरफ्तारी हेतु सेब आरोपियान	पूरक धातान क्रमांक /पेश दिनांक	फरार आरोपियों के गिरफ्तारी हेतु किये गये प्रयास
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	फण्डुख	21/24 341, 294, 323, 506, 147, 148, 149, 353, 332, 186, 427 धरमि0	30.01.24 के रुमि 00.10 बने ग्राम कुटेना नदी घाट के पक्ष	18 30.01.24 के 15.50 बजे	खनिज निरीक्षक सुखन चन्द्र साहू पिता झनस राम साहू उम्र 35 वर्ष सखिन सिंहित सार्जन शरियाबंद धाना सिटी कोतवाली शरियाबंद जिला शरियाबंद (उ. न.) 8839532363	दि.घ.स. को प्राथी अवैध रेत उत्खनन की शिकायत पर कुटेना रेत खदान में निरीक्षण करने गये थे तभी नौके पर दो हाइवा क्रमांक सीजी-07, सीएन-9029 एवं सीपी-8195 एवं तीन माउटिन मशीन अवैध उत्खनन करते पकड़े गये जिसमें दो माउटिन मशीन का अपरेटर देखकर भाग गया जिससे दो हाइवा एवं एक माउटिन मशीन को जप्त कर धाना फण्डुख सा रहे थे तभी आरोपीगण कोसेरो क्रमांक सीजी-23, वे-8605, का क्रमांक सीजी-04, एम-5562 एवं एक	1. कलीराम साहू, पिता स्व. लखन साहू उम्र 63 वर्ष 2. सुरेश कुमार बिरजे पिता बुदुराम बिरजे उम्र 48 वर्ष 3. टीकराम साहू पिता रामसात साहू उम्र 51 वर्ष 4. लोकेश साहू पिता किरतन सात साहू उम्र 33 वर्ष 5. सुपुत्रम महिला पिता बुपुत्रम महिला उम्र 51 वर्ष 6. महेन्द्र साहू पिता सातजी साहू उम्र 46 वर्ष 7. विमल साहू पिता मोहर साहू उम्र 37 वर्ष सखिनान कुटेना, धाना फण्डुख, जिला शरियाबंद (उ.न.)	धा0क0 29/24 28.02.24 के0न0 324/24 29.02.24	01. सुरेन्द्र साहू पिता कलीराम साहू सखिन कुटेना धाना फण्डुख, जिला शरियाबंद (उ.न.) 02. महेन्द्र खनड़ा पिता सातबंद खनड़ा सखिन वार्ड नं. 23 नोकुल वाटीका धरमारी, धाना सिटी कोतवाली धरमारी, जिला धरमारी (उ.न.), 03. रामुल बांधेकर पिता उमेश बांधेकर सखिन धरमुडीका, धाना कुसम, जिला धरमारी (उ.न.)	-	फरार आरोपीगण का सम्पत्तार पतासाजी किया जा रहा है, मिलने पर विधियत गिरफ्तार कर पूरक धातान पेश की जायेगी।

						<p>इसका कर से करियन 10 से 15 लोग वैन मार्टिन के लगने अपनी गाड़ी को रोकर लाठी हण्डा व राड से लैत होकर प्राची का रास्ता रोकर, लोक सेवक शेरा मानते हुये की निर्वहन कार्य में बाधा डालते हुये गाड़ी से कत्तार फरककर निकल कर भी बहन की अश्लील गस्ती प्रतीक करते हुये तुम लोग हमारी गाड़ी को से पाओगे तो जान से खतम कर देने कहते हुये प्राची को गस्त में एक चपड मारकर गाड़ी को लाठी हण्डा व राड से लोक छोड़ कर नुकसान पहुंचाया है कि रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचन में लिया गया।</p>	<p>गिरा दिनांक 31.01.24 के 11.20 बजे 21.02.24 के कमातः 22.20, 22.30, 22.40, 22.50, 23.00, 23.10, बजे</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

## -:: संक्षेपिका ::-

- घाना का नाम :- पाण्डुका जिला :- गरियाबंद (उ.ग.)
- अपराध क्रमांक :- 21/2024 घारा :- 341, 294, 323, 506, 147, 148, 149, 353, 332, 186, 427 भादवि0
- प्रार्थी का नाम मोबाईल नंबर सहित :- खनिज निरीक्षक सुभाष चन्द्र साहू पिता झगरु राम साहू उम्र 35 वर्ष साकिन सिविल लाईन गरियाबंद घाना सिटी क्षेत्रवाली गरियाबंद जिला गरियाबंद (उ.ग.) मो.नं. 8839532363
- दिनांक घटना समय :- 30.01.24 के रात्रि 00.10 बजे
- घटना स्थल :- ग्राम कुटेना नदी घाट के पास
- दिनांक रिपोर्ट समय :- 30.01.24 के 15.50 बजे
- एफआईआर में दर्ज आरोपीगण का नाम :- 1. महेश छयड़ा,  
2. सुरेश उर्फ सुरेन्द्र साहू, ग्राम कुटेना, घाना पाण्डुका, जिला गरियाबंद  
3. कलीराम साहू, पिता स्व. लखन साहू उम्र 63 वर्ष साकिन कुटेना, घाना पाण्डुका, जिला गरियाबंद (उ.ग.)  
4. राहुल बांधेकर एवं अन्य लोग
- गिरफ्तार आरोपीगण :- 1. कलीराम साहू, पिता स्व. लखन साहू उम्र 63 वर्ष  
2. सुरेश कुमार बिरजे पिता बुदुराम बिरजे उम्र 48 वर्ष  
3. टीकराम साहू पिता रामसात साहू उम्र 51 वर्ष  
4. लोकेश साहू पिता किशन लाल साहू उम्र 33 वर्ष  
5. सुतुराम महिस्त्रागे पिता बुधुराम महिस्त्रागे उम्र 51 वर्ष  
6. महेन्द्र साहू पिता सासजी साहू उम्र 46 वर्ष  
7. विमल साहू पिता नोहर साहू उम्र 37 वर्ष साकिनान कुटेना, घाना पाण्डुका, जिला गरियाबंद (उ.ग.)
- गिरफ्तारी दिनांक :- 31.01.24 के 11.20 बजे एवं दिनांक 21.02.24 के क्रमशः 22.20, 22.30, 22.40, 22.50, 23.00, 23.10, बजे
- गिरफ्तारी हेतु शेष आरोपी :-  
01. सुरेन्द्र साहू पिता कलीराम साहू साकिन कुटेना घाना पाण्डुका, जिला गरियाबंद (उ.ग.)  
02. महेश छयड़ा पिता सातचंद छयड़ा साकिन घाई नं. 23 गोकुल वाटीका घमतरी, घाना सिटी क्षेत्रवाली घमतरी, जिला घमतरी (उ.ग.),  
03. राहुल बांधेकर पिता उमेन्द बांधेकर साकिन घरमुडीया, घाना कुस्द, जिला घमतरी (उ.ग.)
- कायमीकर्ता :- प्रआर0 90 भूषण लाल बांधे घाना पाण्डुका, जिला गरियाबंद (उ.ग.)

- विवेक :- प्रआर0 90 भूपण लाल बांधे धाना पाण्डुका, जिला गरियावंद (उ.ग.)
- घटना का संक्षिप्त विवरण :- दि.घ.स. को प्रार्थी अवैध रेत उत्खनन की शिफ्ट पर कुटेना रेत खदान में निरीक्षण करने गये थे तभी मौके पर दो हाइवा क्रमांक सीजी-07, सीएन-9029 एवं सीजी-07, सीपी-8195 एवं तीन माउटेन मशीन अवैध उत्खनन करते पाया गया जिसमें दो माउटेन मशीन का अपरेटर देखकर भाग गया जिससे दो हाइवा एवं एक माउटेन मशीन को जप्त कर घना पाण्डुका त्वा रहे थे तभी आरोपीगण बोलेरो क्रमांक सीजी-23, जे-8605, कार क्रमांक सीजी-04, एम-5562 एवं एक इन्वेवा कार से करीबन 10 से 15 लोग घन माउटेन के सामने अपनी गाडी को रोकर लट्टी डण्डा व राड से लैस होकर प्रार्थी का रास्ता रोकर, लोक सेवक होना जानते हुये भी निर्वहन कार्य में बाधा डालते हुये गाडी से कातर पकड़कर निकल कर भागने की अस्तील गाती गलीब करते हुये तुम लोग हमारी गाडी को से जजोगे तो जन से खतम कर दोगे कहते हुये प्रार्थी को गाल में एक वण्ड मारकर गाडी को लट्टी डण्डा व राड से तोड़ फोड़ कर नुकसान पहुंचाया है कि रिपोर्ट पर अपराध पंजीकृत कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण में विवेचना कार्यवाही पूर्ण होने पर एवं अन्य आरोपी फरार होने से सहाय संकलन करने हेतु धारा 173(8) जाफ़ी में विवेचना कार्यवाही सुरक्षित रखते हुये गिरफ्तार एवं फरार आरोपीगणों के विरुद्ध अपराध धारा 341, 294, 506, 323, 147, 148, 149, 332, 353, 186, 427 भादवि. का पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने से दिनांक 28/02/2024 को अभियोग पत्र क्रमांक 29/2024 तैयार कर माननीय जेएमएफसी न्यायालय रजिम में दिनांक 29.02.24 को पेश किया गया है, जिसका केश नंबर 324/2024 प्राप्त हुआ है। प्रकरण में फरार आरोपी का पतासाजी कर पूरक अभियोग पत्र माननीय न्यायालय पेश किया जायेगा।

  
 धान पाण्डुका  
 जिला गरियावंद (उ.ग.)

**FIRST INFORMATION REPORT**

(Under Section 154 Cr.P.C.)

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(धारा 154 टंड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. District (जिला): गरियामंड

P.S. (थाना): पाण्डुका

Year (वर्ष): 2024

FIR No. (प्र.सू.रि.सं.): 0021

Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय): 30/01/2024 15:50 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएं)
1	भा टं सं 1860	341
2	भा टं सं 1860	294
3	भा टं सं 1860	323
4	भा टं सं 1860	506
5	भा टं सं 1860	147
6	भा टं सं 1860	148
7	भा टं सं 1860	149
8	भा टं सं 1860	353
9	भा टं सं 1860	186
10	भा टं सं 1860	427

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1. Day (दिन): मंगलवार

Date From (दिनांक से): 30/01/2024

Date To (दिनांक तक): 30/01/2024

Time Period (समय अवधि): पहर 1

Time From (समय से): 00:10 बजे

Time To (समय तक): 00:10 बजे

(b) Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई):

Date (दिनांक): 30/01/2024

Time (समय): 15:50 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ): Entry No. (प्रविष्टि सं.): 010

Date & Time (दिनांक और समय): 30/01/2024 15:50 बजे

4. Type of information (सूचना का प्रकार): Oral

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा): पश्चिम, 03 किमी

Beat No. (बीट सं.):

(b) Address (पता): ग्राम कुटेना नदी घाट के पास

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर है तो):

Name of P.S. (थाना का नाम):

District (State) (जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता/सूचनाकर्ता):

(a) Name (नाम): सुभाष चन्द साहू

(b) Father's Name (पिता का नाम):

झगरू राम साहू

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 1989

(d) Nationality (राष्ट्रियता): भारत

(e) UID No. (यूआईडी सं.):

(f) Passport No.(पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की तिथि):

Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN)

S.No. (क्र.सं.)	Id Type (पहचान पत्र का प्रकार)	Id Number (पहचान संख्या)
1		

(h) Address (पता):

S.No.(क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	सिविल लाइन गरियाबंद, गरियाबंद, गरियाबंद, छत्तीसगढ़, भारत
2	स्थायी पता	सिविल लाइन गरियाबंद, गरियाबंद, गरियाबंद, छत्तीसगढ़, भारत

(i) Occupation (व्यवसाय): अन्य

(j) Phone number (दूरभाष सं.):

Mobile (मोबाइल सं.): 91-8839532363

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (जात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than (अज्ञात आरोपी एक से अधिक हों तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address (वर्तमान पता)
1	महेश छवडा			1. -----, पाण्डुवन, गरियाबंद, छत्तीसगढ़, भारत
2	सुरेश	सुरेन्द्र साहू		1. कुटेना, पाण्डुवन, गरियाबंद, छत्तीसगढ़, भारत
3	कलीराम साहू			1. कुटेना, पाण्डुवन, गरियाबंद, छत्तीसगढ़, भारत
4	राहुम बाथेकर			1. -----, पाण्डुवन, गरियाबंद, छत्तीसगढ़, भारत
5	अज्ञात 1			

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज करने के कारण):

वरिष्ठ अधिकारियों से राय मसूरा बाद

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (संपत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति का प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. Total value of property (In Rs/-)-सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में):

11. Inquest Report / U.D. case No., If any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी. प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी. प्रकरण सं.)

न.सी.आर.बी.  
जाँच फार्म

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)  
I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म -I)

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

मैं जिला कार्यालय चनिन शाखा गरियाबंद में चनि निरीक्षण के पट पर पदस्थ हूँ कि दिनांक 29.01.2024 को ग्राम कुटेना के नदी घाट में अवैध रेत उत्खनन की शिकायत प्राप्त हुआ था उक्त अधिकारी के आदेश पर शासक वाहन क्र० CG 02 2950 के चरान होने के कारण निजी वाहन स्क्रिपियो क्रमांक CG 23-8119 से हमराह स्टाफ नगर सैनिक राजेश भारद्वाज, हरिगंकर निवाट, दैनिक वेतन भोगी वाहन चालक नंदकुमार साहू एवं प्रायवेट वाहन चालक जुबैर खान के साथ रात्रि में कुटेना रेत खदान में निरीक्षण करने गये मौके में दो हाईवा क्र० CG 07 CN 9029 एवं क्र० CG 07 CP 8195 एवं तीन चैन माउंटेन मशीन अवैध उत्खनन करते पाया गया जिसमें से दो चैन माउंटेन का आपरेटर हम लोग को देखकर चैन माउंटेन को छोड़कर भाग गये मौके पर दो हाईवा क्र० CG 07 CN 9029 एवं क्र० CG 07 CP 8195 एवं एक चैन माउंटेन मे आपरेटर मिला जिसे जप्त कर हाईवा क्र० CG 07 CN 9029 में नगर सैनिक हरिगंकर निवाट हाईवा क्र० CG 07 CP 8195 में नगर सैनिक राजेश भारद्वाज तथा चैन माउंटेन मशीन में नंद कुमार साहू को बैठाकर वाना पाण्डुरक के लिये खाना किया गया जब 02 माउंटेन को मौके पर छोड़कर आ रहे थे मे अपनी गाडी में प्रायवेट चालक जुबैर खान के साथ चैन माउंटेन में नंद कुमार साहू को बैठाकर उसके पीछे पीछे में अपने स्क्रिपियो वाहन से पुलिस वाना पाण्डुरक आ रहा था कि करीबन रात्रि 12.10 बजे जैसे ही नदी घाट के ऊपर पहुँचे थे की उसी समय सामने से एक सफेद रंग के बोमरो क्रमांक CG 23 J 8805, एक सफेद रंग के कार CG 04 M 5562 एवं एक इनोवा कार से करीबन 10 से 15 लोग चैन माउंटेन के सामने अपने गाडी को रोककर माठी, झण्डा व रड से बैस होकर उतरे जिसमे से मैं महेश झबडा, सुरेश उर्फ सुरेन्द्र साहू, कज़ीराम साहू, राहुल बांधेकर को जानता पहचानता हूँ एवं अन्य लोगों को नहीं पहचानता हूँ जो तथा चैन माउंटेन मे बैठे नंद कुमार साहू से चैन माउंटेन मशीन की चाली छिनकर सभी एक राय होकर रास्ता रोककर मुझे मोक सेवक होना जानते हुये भी मेरे निर्वहन कार्य में बाधा डालते हुये गाडी से कतर पकड कर निकलन कर सामने माटरबोट तेरी मां वाहन को छोड़ की गल्ली गलौच करते हुये तुम लोग हमारी गाडी को ले जाओगे तो तुम लोगों को जान से कतर कर दोगे कहते हुये महेश झबडा द्वारा मेरे बाये गाल पर एक धप्यड मारा है तथा उन लोगों के द्वारा पकडे हुये माठी झण्डा व रड से मेरे गाडी को तोड फोड कर नुकसान पहुचाया है जिस घटना को मेरे प्रायवेट वाहन चालक जुबैर खान देखे सुने एवं जानते है मारपीट करने से मेरे मुंह एवं बाये गाल मे दर्द हो रहा है रिपोर्ट करता हूँ कार्यवाही चाहता हूँ कि रिपोर्ट पढकर देखा सुना मेरे कतायेनुसार सही सही लिखा गया है।

13. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) w/s as mentioned at Item No. 2.

(की गयी कार्यवाही : चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मट सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है।)

(1) Registered the case and took up the investigation: BHUSHAN LAL BHANDHE(HC  
(प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): or (Head Constable)) /

(2) Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम):

Rank (पट):

No. (सं.):

to take up the investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया)  
or (या)

(3) Refused investigation due to (जांच के लिए):

or (के कारण इंकार किया या)

(4) Transferred to P.S.(थाना):

District (ज़िला):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / informant free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी ।)

R.O.A.C.(आर. ओ .ए .सी.)

14. Signature/Thumb impression of the complainant / informant.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

15. Date and time of dispatch to the court

(अदालत में प्रेषण की तिनांक और समय):

Signature of Officer in charge, Police  
Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): BHUSHAN LAL BHANDHE

Rank(पद): HC (Head Constable)

No.(नं.):

Attachment to Item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused: ( If known / seen )

(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण : (यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No. (क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (ऊँचाई (से.मी.))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिह्न)
1	2	3	4	5	6	7
1	पुल्ल					
2	पुल्ल					
3	पुल्ल					
4	पुल्ल					
5						
Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)		Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहननावा)
8		9	10	11	12	13
Language /Dialect (भाषा/बोली)	Place Of (का स्थान)					Others (अन्य)
14	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma(मुकोदेर्मा (सफेद धब्बे))	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूँदे हुए का)	20
	15	16	17	18	19	
						अन्य करीबन 10 से 12 नोग

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.

(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है।)



Attendance Sheet of committee members

Original Application No. 89 of 2024(CZ) and 252/2024(PB)

News Item titled "khanij mafiyao ke hausle buland raet ghaat mein avidh uttkhanan rokne gayi khanij team per jaanleva hamla gaadiyo mein todfood kisiki sheh prr gundagardi" appearing in Lalluram.com dated 30.01.2024

Date of Visit: 30.4.2024

Location:

S.No	Name and designation	Department	Signature
1	P. Jagann, Regional Director	CPCB	
2.	Dr. M.T. KARUPPIAH Scientist -E	MOEP & EC Sub-office Raipur	
3.	Prasanna Sonker, Assistant Eng.	Regional office, CEB, Raipur	
4	Vishal Kumar Maharama	Dist Collector Representative	
5	Fajal Nagesh Assistant Mining officer 9AD	collecfote (Mining) (9424243138)	
6.	Dev Singh Ranwan, Sarpanch, village - Kitero	Village P Kitero	
7.	Dr. Anoop Chaturvedi Sci-B	CPCB 92433755	
8.	Khemchand saku Junior Scientist	ROCEB Raipur	

9. Subhash chander saku  
Mining inspector  
Mining  
Karamchand  
9424243138



जिला गरियाबंद (हगण)  
हुवा

पथ :- गाँव कुटेना, परत 35, शनिम पाण्डुणा, में रेत खनन  
हयन अताये जाने के संबंध में।

अव्यक्त किण्वकित लेख हैं, की ग्राम कुटेना वल्ल 35  
शनिम पाण्डुणा के द्वारा ग्राम शटेगा के आसनीय मढ़, पानी के  
नीचपात 29.36 हे. की क्षुमि है। जिस पर  
रेत खनन कार्य बीस अक्त अणण 29.36 हे. में से  
0.60 हे. ( डेढ़ एण्ड) पैरी नदी क्षेत्र से रेत खनन  
कार्य करना प्रतीत होता है,

तथा व्यत 01 के 0.60 हे. अयोग (रेत खनन)

लगाती क्षुमि अक्सरान् अमिश -

अव्यक्त किण्वकित लेख हैं, की ग्राम कुटेना वल्ल 35  
शनिम पाण्डुणा के द्वारा ग्राम शटेगा के आसनीय मढ़, पानी के  
नीचपात 29.36 हे. की क्षुमि है। जिस पर  
रेत खनन कार्य बीस अक्त अणण 29.36 हे. में से  
0.60 हे. ( डेढ़ एण्ड) पैरी नदी क्षेत्र से रेत खनन  
कार्य करना प्रतीत होता है,

35

**ग्राम कुटेना में हुये अवैध परिवहन/उत्खनन की जानकारी**

क्रमांक	वर्ष	अवैध परिवहन			अवैध उत्खनन		
		खनिज का नाम	दर्ज प्रकरण	वसूल की गई राशि	दर्ज प्रकरण	मात्रा	वसूल की गई राशि
1	2020-21	रेत	10	62000	1	50 घनमीटर	50000
2	2021-22	रेत	8	69000	1	30 घनमीटर	40000
3	2022-23	रेत	7	190500	निरंक	निरंक	निरंक
4	2023-24	रेत	1	155000	निरंक	निरंक	निरंक
			26	476500	2	80 घनमीटर	90000

वर्ष 2020-21 अवैध उत्खनन की जानकारी जिला गरियाबंद

क्र	प्रकरण क्रमांक दिनांक	प्रकरण तैयार करने वाले अधिकारी का नाम	प्रकरण स्थान	तहसील	खनिज	खनिज की मात्रा (घ.मी. /टन में)	ख. न	रकबा	रायल्टी राशि	बाजार मूल्य	आरोपित राशि	जमा राशि	वास्तान क्रमांक	वास्तान दिनांक	जिसके विरुद्ध प्रकरण तैयार किया गया
-----	--------------------------	---	-----------------	-------	------	--------------------------------------	------	------	-----------------	----------------	----------------	----------	--------------------	----------------	-------------------------------------

निरंक

वर्ष 2021-22 अवैध उत्खनन की जानकारी जिला गरियाबंद

क्र	प्रकरण क्रमांक दिनांक	प्रकरण तैयार करने वाले अधिकारी का नाम	प्रकरण स्थान	तहसील	खनिज	खनिज की मात्रा (घ.मी. /टन में)	ख. न	रकबा	रायल्टी राशि	बाजार मूल्य	आरोपित राशि	जमा राशि	वास्तान क्रमांक	वास्तान दिनांक	जिसके विरुद्ध प्रकरण तैयार किया गया
11	12-10-2021	खनि निरीक्षक	कुटेना	धुवा	रेत	50			2500	7500	50000	50000	22	29-10-2021	श्री अख्तार रजा निवासी खैरतकसा जिला पलामू याहन मालिक श्री उज्जयल सिंह ठाकुर निवासी गिलाई तहसील व जिला दुर्ग

वर्ष 2022-23 अवैध उत्खनन की जानकारी जिला गरियाबंद

क्र	प्रकरण क्रमांक दिनांक	प्रकरण तैयार करने वाले अधिकारी का नाम	प्रकरण स्थान	तहसील	खनिज	खनिज की मात्रा (घ.मी. /टन में)	ख. न	रकबा	रायल्टी राशि	बाजार मूल्य	आरोपित राशि	जमा राशि	वास्तान क्रमांक	वास्तान दिनांक	जिसके विरुद्ध प्रकरण तैयार किया गया
11	03-07-2022	खनि निरीक्षक	कुटेना	धुवा	रेत	30			1500	4500	40000	40000	12	01-09-2022	याहन यासक श्री परवेज आलम याहन मालिक गोल्डी जैन निवासी राजनादगांव याहन क्रमांक जेसीवी हिटापी ईएक्स 200एलसी

वर्ष 2023-24 अवैध उत्खनन की जानकारी जिला गरियाबंद

क्र	प्रकरण क्रमांक दिनांक	प्रकरण तैयार करने वाले अधिकारी का नाम	प्रकरण स्थान	तहसील	खनिज	खनिज की मात्रा (घ.मी. /टन में)	ख. न	रकबा	रायल्टी राशि	बाजार मूल्य	आरोपित राशि	जमा राशि	वास्तान क्रमांक	वास्तान दिनांक	जिसके विरुद्ध प्रकरण तैयार किया गया
-----	--------------------------	---	-----------------	-------	------	--------------------------------------	------	------	-----------------	----------------	----------------	----------	--------------------	----------------	-------------------------------------

निरंक

वर्ष 2020-21

क्र.	प्रकरण क्रमांक दिनांक	स्थान	अधिकारी का नाम व पद	जप्त वाहन का प्रकार एवं क्रमांक	वाहन नासिक का नाम व पूरा पता	वाहन धारक का नाम एवं पूरा पता	खनिज	नामा धनमीटर	रायल्टी	बाजार मूल्य	प्रस्तावित अर्थदण्ड	जप्त राशि	वास्तव क्रमांक	दिनांक
1	05-09-2020	कुटेना	खनि निरीक्षक	ट्रेक्टर सीजी 04 एसबी 5081	श्री यादराम निवाह	श्री कसीराम साहू	रेत	3	150	4500	6500	6500	16	16-09-2020
2	05-09-2020	कुटेना	खनि निरीक्षक	ट्रेक्टर सीजी 04 एकएक्स 8520	श्री उत्तम साहू	श्री पुस्तू राम साहू	रेत	3	150	4500	6500	6500	18	18-09-2020
3	05-09-2020	कुटेना	खनि निरीक्षक	ट्रेक्टर पावर ट्रेक सोल्ड	श्री सुंदर लाल पटेल	श्री गुलाम रातनामी	रेत	3	150	4500	6500	6500	17	18-09-2020
4	02-09-2020	कुटेना	खनि निरीक्षक	ट्रेक्टर न्यु महिन्द्रा	श्री टिकेश्वर दीवान	श्री अफम राम साहू	रेत	3	150	4500	6500	6500	15	18-09-2020
5	05-09-2020	कुटेना	खनि निरीक्षक	ट्रेक्टर सीजी 05 एजे 0816	श्री डिनेश्वर साहू	श्री डिनेश्वर साहू	रेत	3	150	450	6500	6500	7	21-09-2020
6	21-09-2020	कुटेना	खनि निरीक्षक	ट्रेक्टर सीजी 23 सी 0608	श्री ताराचंद यादव	श्री ताराचंद यादव	रेत	3	150	450	6500	6500	13	03-10-2020
7	21-09-2020	कुटेना	खनि निरीक्षक	ट्रेक्टर सीजी 04 एल 1587	श्री फेतन साहू	श्री कुशल राम साहू	रेत	रेत लोडिंग के उद्देश्य से				5000	20	03-10-2020
8	21-09-2020	कुटेना	खनि निरीक्षक	ट्रेक्टर न्यु आईपर	श्री परसराम करवण	श्री ठनेश्वर साहू	रेत	रेत लोडिंग के उद्देश्य से				5000	19	03-10-2020
9	21-09-2020	कुटेना	खनि निरीक्षक	ट्रेक्टर सीजी 04 बीए 1361	श्री अजय साहू	श्री तुषार साहू	रेत	3	150	450	6500	6500	21	03-10-2020
10	21-09-2020	कुटेना	खनि निरीक्षक	ट्रेक्टर सीजी 04 बीए 5608	श्री पुरेन्द्र साहू	श्री विश्वरू राम निम्तकर	रेत	3	150	450	6500	6500	31	03-10-2020

62000

वर्ष 2021-22

क्र.	प्रकरण क्रमांक दिनांक	स्थान	अधिकारी का नाम व पद	जप्त वाहन का प्रकार एवं क्रमांक	वाहन मालिक का नाम व पूरा पता	वाहन चालक का नाम एवं पूरा पता	खनिज	मन्त्र धनवीटर	रायस्टी	बाजार मूल्य	इस्तफिता अर्थदण्ड	जमा राशि	कारण क्रमांक	दिनांक
1	11-04-2021	कुटेना	खनि निरीक्षक	लार्डका सीजी 23 3816	श्री देवनाचरण साहू	श्री हरिदा साहू	रेत	3	150	450	6500	6500	16	12-04-2021
2	11-04-2021	कुटेना	खनि निरीक्षक	लार्डका सीजी 23 एक 1075	श्री भोज बजारे	श्री हरिदा साहू	रेत	3	150	450	6500	6500	17	12-04-2021
3	13-10-2021	कुटेना	खनि निरीक्षक	लार्डका सीजी 07 वीएन 1237	श्री वीनसिंह टण्डन	श्री ओम प्रकाश पटेल	रेत	रेत लोडिंग के उद्देश्य से				5000	39	25-10-2021
4	13-10-2021	कुटेना	खनि निरीक्षक	लार्डका सीजी 07 वीएन 7574	श्री ओमकार पुष	श्री धनरायण साहू	रेत	रेत लोडिंग के उद्देश्य से				5000	15	25-10-2021
5	13-10-2021	कुटेना	खनि निरीक्षक	लार्डका सीजी 07 वीआर 4480	श्री रोशन	श्री वीनेश्वर साहू	रेत	रेत लोडिंग के उद्देश्य से				5000	16	25-10-2021
6	13-10-2021	कुटेना	खनि निरीक्षक	लार्डका सीजी 07 वीके 7220	श्री ओमप्रकाश खादक	श्री विवेक कुमार सिंह	रेत	रेत लोडिंग के उद्देश्य से				5000	20	25-10-2021
7	13-10-2021	कुटेना	खनि निरीक्षक	लार्डका सीजी 07 वीएन 3185	श्री अमित निर्मलकर	श्री अमित निर्मलकर	रेत	रेत लोडिंग के उद्देश्य से				5000	22	25-10-2021
8	13-10-2021	कुटेना	खनि निरीक्षक	लार्डका सीजी 04 एमएन 1954	श्री राजू सिंह	श्रीमती संजना	रेत	12	600	1800	31000	31000	18	28-10-2021

69000

वर्ष 2023-24

क्र.	प्रकरण क्रमांक दिनांक	स्थान	अधिकारी का नाम व पद	जप्त वाहन का प्रकार एवं क्रमांक	वाहन मासिक का नाम व पूरा पता	वाहन चालक का नाम एवं पूरा पता	खनिज	मात्रा घनमीटर	तयल्ली	वाजार मूल्य	प्रस्तावित अर्धदण्ड	जमा राशि	वास्तव क्रमांक	दिनांक
1	19-04-2023	कुटेना	खनि निरीक्षक	सीजी 04 एलवाय 1641	श्री अरुणी साहू	श्री निखिल पिम्पानी	रेत	12	600	1800	31000	31000	32	21-04-2023
2	08-07-2023	कुटेना	खनि निरीक्षक	हाईवा सीजी 07 सीएस 1579	श्री लक्ष्मी कदव	साबाद खान	रेत	12	600	1800	31000	31000	15	20-07-2023
3	21-08-2023	कुटेना	खनि निरीक्षक	हाईवा सीजी 04 एम 4418	श्री लाला यादव	श्री चंद्रकमल सिघानिया	रेत	12	600	1800	31000	31000	4	01-09-2023
4	24-09-2023	कुटेना	खनि निरीक्षक	हाईवा सीजी 04 एम 9101	श्री कुंज विहारी सिंह	श्री लोकेश खत्री	रेत	12	600	1800	31000	31000	58	11-10-2023
5	30-01-2024	कुटेना	खनि निरीक्षक	सीजी 07 बीएफ 1008	श्री अरुण निवाड	श्री पुरुषोत्तम देवानन	रेत	12	600	1800	31000	31000	668	06-02-2024

155000

वर्ष 2022-23

क्र.	प्रकरण क्रमांक दिनांक	स्थान	अधिकारी का नाम व पद	जप्त वाहन का प्रकार एवं क्रमांक	वाहन मालिक का नाम व पूरा पता	वाहन कालक का नाम एवं पूरा पता	खतिज	मात्रा घनमीटर	शकटी	वाजार मूल्य	परिमित अर्थरकत	जम्मा तति	कार्रान क्रमांक	दिनांक
1	31-03-2022	कुटेना	खनि निरीक्षक	सीजी 04 एए 2794	श्री धर्मन्ध साहू	श्री मंगाराम साहू	रेत	3	150	450	6500	6500	12	12-04-2022
2	18-07-2022	कुटेना	सहायक खनि अधिकारी	सीजी 04 एएटी 2257	श्री अनित गायकवाड	श्री दीपक गायकवाड	रेत	12	600	1800	31000	31000	38	03-08-2022
3	13-10-2022	कुटेना	खनि निरीक्षक	ट्रेक्टर सीजी 04 एन डब्ल्यू 5583	श्री धनगुरु ट्रेक्टर	श्री विजेन्ध चन्दाकर	रेत	12	600	1800	31000	31000	34	18-10-2022
4	12-10-2022	कुटेना	खनि निरीक्षक	हाईवा सीजी 08 एआर 8938	श्री देवेन्ध साहू	श्री लीलाधर पटेल	रेत	12	600	1800	31000	31000	18	21-10-2022
5	13-10-2022	कुटेना	खनि निरीक्षक	हाईवा सीजी 04 एन डब्ल्यू 5583	श्री धनगुरु ट्रेक्टर	श्री विजेन्ध चन्दाकर	रेत	12	600	1800	31000	31000	34	18-10-2022
6	03-11-2022	कुटेना	खनि निरीक्षक	हाईवा सीजी 04 एचजेड 1435	श्री बंटी साहू	श्री गुलेश्वर राजवाडे	रेत	10	500	1500	30000	30000	20	18-11-2022
7	03-11-2022	कुटेना	खनि निरीक्षक	हाईवा सीजी 04 एचजेड 1157	श्री बंटी साहू	श्री जसिन्धर धुब	रेत	10	500	1500	30000	30000	21	18-11-2022

190500

# कार्यालय-ग्राम पंचायत कुटेना

वि.सं.-घुरा, जिला-गरियावन्द (छ.ग.)

सरपंच देवसिंग कंवर मो. 6268911826	उपसरपंच श्रीमती लतेश्वरी मारिकोडे मो. 7000188572	विधि विष्णु साहू मो. 7999544161
क. / 18 / 2024		30 JAN 2024
दिनांक 30/01/2024		कलेक्टर / अपर कले. / अधीक्षक


प्रति

जिलाधीश महोदय जी  
जिला कमलिय-गरियावन्द (छ.ग.)


13  
29/01/2024

विषय : पेंरी नदी कुटेना से अर्बेय रेत परिवहन कार्य बंद कराने के सम्बन्ध

महोदय जी !



ठपरोस्त : विजयान्तर्गत क्षेत्र है कि ग्राम पंचायत कुटेना के अन्तर्गत पेंरी नदी से अर्बेय रूप से रेत परिवहन कार्य चल रहा है जिससे ग्राम के प्रमुखों का हाथ होने के कारण अर्बेय रेत परिवहन कार्य को प्रोत्साहन दे कर अर्बेय शक्ति वसुल कर रहा है व ग्राम पंचायत कुटेना को बदनाम किया जा रहा है एवं ग्राम पंचायत द्वारा किसी भी ठेकेदार को रेत परिवहन कार्य हेतु अनुमति नहीं दिया गया है।



अतः श्रीमान से निवेदन है कि पेंरी नदी कुटेना से अर्बेय रेत परिवहन कार्य को तत्काल बंद कराने की कृपा करेंगे।

सचिव

ग्राम पंचायत कुटेना  
वि.सं.-घुरा, जिला-गरियावन्द (छ.ग.)

सरपंच

ग्राम पंचायत कुटेना  
वि.सं.-घुरा, जिला-गरियावन्द (छ.ग.)

अटल नगर, दिनांक 19 जनवरी 2023

क्रमांक एफ 7-7/2004/XII— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसार मैं दत्त निमाग के अधिनियम क्रमांक एफ 7 7/2004/XII, दिनांक 19 01 2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
जय प्रकाश शर्मा, संयुक्त सचिव

Atal Nagar, the 19th January 2023

#### NOTIFICATION

No. F7-7/2004/XII.—In exercise of the powers conferred by section 15 of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (No. 67 of 1957), the State Government, hereby, makes the following rules for regulation of quarrying and trade of minor mineral ordinary sand under the Scheduled Area, namely:-

#### RULES

1. **Short title, extent and commencement.**- (1) These rules may be called the Chhattisgarh Minor Mineral Ordinary Sand Quarrying and Trade (for Scheduled Areas) Rules, 2023.

(2) These rules shall apply to the Scheduled Areas of the State of Chhattisgarh.

(3) These rules shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.**- (1) In these rules, unless the context otherwise requires, -

(a) "Ceiling Price" means price fixed by the District Level Committee;

(b) "Gram Panchayat" means the concerned Gram Panchayat;

(c) "District-Level Committee" means the Committee of Officers constituted by the Collector at the district level, which shall function as per the provision mentioned;

(d) "Scheduled Areas" means the Scheduled Areas referred to in clause (1) of Article 244 of the Constitution of India

(e) "Urban body" means the concerned Nagar Panchayat/Municipality/ Municipal Corporation, as the case may be.

(2) Words and expressions used in these rules but not defined shall have the same meaning as assigned to them in Chhattisgarh Minor Mineral Rules, 2015 and Chhattisgarh Minor Mineral Ordinary Sand Quarrying and Trade Rules, 2019.

3. Quarrying and transportation of minor mineral sand may be carried out in accordance with and subject to the condition prescribed in these rules by Gram Panchayat/Urban body in the Scheduled Areas of the State:

Provided that nothing contained in these rules shall apply to any such quarry lease granted before the time of coming into force of these rules.

4. **Application for Quarry lease.**- (1) For obtaining sand Quarry lease, the concerned Gram Panchayat/Urban body will submit, in prescribed application Form-I, to the Mining Section of the concerned district.

(2) **Application fee:**- (a) A Non-refundable application fee of Rs.1000.

(b) Above fee will be deposited in the Government Treasury under the following revenue receipt head:-

Major Head (0853)- Non-ferrous metal mining and metallurgical industry

Minor Head (800)- Other Receipts

(0229) - Miscellaneous.

- 5. Identification of ordinary sand quarries and fixation of the Ceiling price.-** (1) For Scheduled Areas, on receipt of the application along with map, khasra for operation of sand quarry leases by the concerning Gram Panchayat, the Collector shall, in accordance with the opinion of the District-Level-Committee, Sand Mining area shall be identify, demarcate (including latitude and longitude), after receiving all inspection report, declare the same as quarry and assigning to them specific names.
- (2) In the scheduled areas, it shall be mandatory to obtain prior approval of the Gram Sabha for declaring the areas of ordinary sand.
- (3) The District Level Committee shall determine, district-wise, ceiling price per cubic meter for ordinary sand mining and loading (loading rate, construction of ramp, lease area approach road maintenance and other related expenses), which shall be valid for two financial years.
- (4) Ceiling Price shall not include royalty, contribution to the District Mineral Foundation Trust, Environment Cess, Infrastructure Development Cess, tax deducted at source and amount of other taxes etc. as applicable.
- 6. Preparation and approval of mining plan.-** (1) It shall be mandatory to prepare the mining plan only by the qualified person authorized by the Directorate of Geology and Mining.
- (2) The approval of the mining plan will be done by the Deputy Director (Mineral Administration) or Mining Officer posted in the concerning district, who is post graduate with Geology subject.
- (3) In case, a technically qualified Deputy Director (Mineral Administration) or Mining Officer is not posted in the district, the mining plan shall be approved by qualified Deputy Director (Mineral Administration) or Mining Officer of the nearest district or in the Directorate of Geology and Mining, whoever is authorized by the Director.
- (4) In case of difficulty in preparation and approval of mining plan, and getting environmental clearance, assistance will be given to the concerning Sarpanch or Secretary, by the Mining Officer or Mining Inspector posted in the Mining Section of the concerned district.
- 7. Period of mining lease.-** The quarry lease for excavation of ordinary sand shall be given for a period of five years. The period of five years shall be calculated from the date of registration of the quarry lease deed.
- 8. Procedure for providing quarry lease.-** (1) The concerning panchayat or body shall submit Rs. 25 thousand per hectare or part thereof as performance security through challan, within 15 days from the date of declaration of mine by the collector in the scheduled area.
- (2) On receipt of such performance security, the sanctioning authority (Collector) shall issue a letter of intent to the concerning Panchayat/Urban body.
- (3) The concerning Panchayat/Urban body shall have to fulfil the following conditions within 12 months from the date of issue of letter of intent:-
- (a) submit all consents, approvals, no-objections and such other documents as may be required under the relevant laws relating to forest, environment and as applicable before commencing the mining operations;
- (b) Shall submit Mining plan approved by the competent authority.
- (c) The lessee shall submit all the forest and environmental clearances approved for mining of ordinary sand.
- (4) On fulfilment of the conditions specified in sub-rule (3), the Sanctioning Authority may grant quarry lease to the concerning Gram Panchayat/Urban body.
- (5) If the conditions specified in sub-rule (3) are not fulfilled within twelve months from the date of issue of the letter of intent, the letter of intent shall automatically be treated as cancelled and the performance security submitted by the concerned Gram Panchayat/Urban body shall be forfeited:

Provided that on receipt of an application to this effect by the concerned Gram Panchayat/Urban body, it is found that sufficient reason exists for failure to comply with the specified conditions within the specified time period, as well as apply for environmental clearance within the specified time period, the additional period can be extended by the collector till the environmental consent is obtained.

- 9. Mining lease deed to be executed within ninety days.-** (1) Where a quarry lease has been granted, a quarry lease deed shall be executed in Form-III and registered under the Indian Registration Act, 1908 (No. 16 of 1908), within ninety days from the date of the order granting the lease, and if such deed is not executed within the stipulated period, the order sanctioning the lease shall stand revoked.
- (2) Where the concerned Gram Panchayat/Urban body is unable to execute the quarry lease deed within the specified period of ninety days, it may, mentioning the reasons, submit application to give extension of time with non-refundable fee of rupees five hundred to the Collector before the said period.
- (3) The Collector, on receipt of an application under sub-rule (2), shall satisfy himself about the adequacy and genuineness of the reasons for inability to execute the deed and on being satisfied, he may extend the period of time by such additional period not exceeding ninety days.
- 10. General terms and conditions for mining and Trade of minor mineral ordinary sand.-** (1) The lessee shall be responsible for full-filing all the conditions mentioned in Forest, Environment, Mining and other consents.
- (2) The lessee may excavate minor mineral sand within the sanctioned area as per the mining plan and environmental consent after paying all the taxes fixed by the Government.
- (3) The lessee shall do the work of excavation and extraction in the sand mines by its own and contracting out this work shall be completely prohibited.
- (4) The lessee shall be responsible to deposit the royalty as may be prescribed by the State Government from time to time at the rate of per cubic meter for the extracted mineral, directly in the head of the Panchayat Raj.
- (5) An amount equal to the ceiling price shall be paid by the lessee as premium amount, directly to the head of the Panchayat Raj.
- (6) The lessee shall be responsible to deposit in the designated head of account, in the District Mineral Foundation Trust (DMFT) as ten percent of royalty and other taxes, on per cubic meter basis as may be prescribed by the State Government from time to time, minerals to be extracted.
- (7) The transit pass for Transportation of mineral shall be issued, in the prescribed Form-I (The Chhattisgarh Minerals (Mining, Transport and Storage) Rules, 2009), after depositing the Fixed royalty amount and other taxes by the lessee.
- (8) Transit passes shall be issued to the concerned Gram Panchayat/Urban body from the Collectorate, Mining Section on depositing the printing fee as Fixed by the State Government.
- (9) The concerned Gram Panchayat/Urban body shall follow the following exemptions provided in Rule 3 of the Chhattisgarh Minor Mineral Rules, 2015 in the case of sand mining also:-
- (a) Hereditary potters, members of Scheduled Castes and Scheduled Tribes, or their co-operative societies, who make Kavelu, utensils, bricks by traditional means, Shall be exempted from payment of royalty on the use of sand for these above Purposes;
- (b) Farmers, rural artisans and labourers living in villages Shall be exempted from royalty on the use of sand for their own residence construction, construction or repair of wells or other agricultural work;
- (c) There shall be exemption in royalty on the use of sand for public construction works to be done by Gram Panchayat, Janpad Panchayat, Zila Panchayat or urban body on its own.

- (10) No Quarrying activity shall be done within two hundred meters from any bridge, national/state Highway.
- (11) No Quarrying activity shall be done within hundred meters from any natural water source, dam or reservoir or any other structure.
- (12) Excavation work shall be done excluding ten percent area of the width of the river from both the banks of the river.
- (13) Quarrying ordinary sand shall be done only up to a depth of three meters from the surface or bed rock in the river.
- (14) The monthly returns of Quarrying in the prescribed form, in terms of clause (a) of sub-rule (20) of rule 51 of the Chhattisgarh Minor Mineral Rules, 2015, shall be submitted by concerned Panchayat and local body to the concerned collector on or before the 15th day of the following month:

Provided that the transit pass shall be issued only after submission of updated details as mentioned above.

- (15) In every Quarry of ordinary sand, the ceiling price (on which sand is to be loaded) and other taxes shall be prominently displayed.
  - (16) It shall be mandatory to follow the orders issued from time to time by Hon'ble Court/Central/ State Government/NGT and any other applicable law.
  - (17) In case of violation of the provisions of these rules or the terms and conditions of the agreement, the performance security amount may be confiscated in whole or in part thereof by the Collector.
  - (18) If interest is not being taken by the concerned Gram Panchayat in operating the mines, and if the registered self-help group or the cooperative society of the unemployed local, of the same panchayat apply to operate the mines, then the District Collector, with the approval of the Gram Sabha, after considering the applications through the District Level Committee, may authorize for operating the mines.
11. **Use of information technology.**- The State Government shall be able to use information technology systems to ensure the availability of ordinary sand in an organised manner. It shall be mandatory to follow the instructions issued by the State Government from time to time in this regard
  12. **Effective control on illegal Quarrying and transportation of ordinary sand.**- Effective control on illegal Quarrying/transportation/ storage of ordinary sand and other minerals shall be made by the flying squads formed at district and directorate level.
  13. **Penalty.**-Whenever the Gram Panchayat/Urban body is found to be Quarrying/storing/transporting ordinary sand except valid authority, such work shall be deemed to be an offence under the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 as amended from time to time and the rules made there under, and accordingly, such person shall be liable to penalty.
  14. **Appeal/Revision.**- Notwithstanding anything to the contrary contained in these rules, appeal or revision in respect of any order passed under these rules, shall be made according to the provisions contained in Chapter-XIV of the Chhattisgarh Minor Mineral Rules, 2015.
  15. **Clarification.**- In case of any ambiguity regarding to interpretation of any provision in these rules, the provisions contained in Chhattisgarh Minor Mineral Rules, 2015 and Chhattisgarh Minor Mineral Ordinary Sand Quarrying and Trade Rules, 2019 shall apply.
  16. **Repeal and savings.**- All Directions and orders related to Quarrying and trade of ordinary sand, issued prior to these rules came into force in the scheduled area, shall be repealed for the scheduled area, once these rules come into force.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,  
JAY PRAKASH MOURYA, Joint Secretary.

(20)

**कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) गरियाबंद, छत्तीसगढ़**

कलेक्टर परिसर (कम नं 73, प्रथम तल), e-mail: mininggariaband@gmail.com

क्रमांक 830/ख.ति./न्याया./2023-24  
प्रति,

गरियाबंद, दिनांक 06/02/2024

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  
गरियाबंद,  
जिला-गरियाबंद (छ.ग.)

विषय :- जप्तशुदा संपत्ति को सुपुर्दानमें में प्रदान करने के संबंध में।

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि हाईवा वाहन क्रमांक सीजी 07 सीपी 8195 द्वारा वाहन चालक श्री अनुज धुव निवासी अमलीडीह थाना बिल्हा के द्वारा खनिज रेत का अवैध परिवहन करते पाये जाने पर एवं वैध दस्तावेज (रायल्टी पर्ची) प्रस्तुत नहीं करने पर एम.एम.डी. आर 1957 की धारा 21 एवं 23(क)/छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 2015 के नियम 71 अन्तर्गत शासन द्वारा प्रदत्त अधिकार का प्रयोग करते हुए वाहन को जप्त कर दिनांक 29.01.2024 को थाना प्रभारी पाण्डुका की अभिरक्षा में रखा गया है।

संलग्न :- एफआईआर की कापी।

*(Handwritten Signature)*  
सहा. खनि अधिकारी  
जिला-गरियाबंद (छ.ग.)



*(Handwritten Signature)*  
06-02-24

न्यायालय 0337 प्र. 27 महोदय गरियाबंद जिला - गरियाबंद (छ0ग0)

//ज्ञापन//

क्रमांक ...../मु.न्या.मजि./

गरियाबंद दिनांक 9/2/24

प्रति,



धन प्रमारी-अनिष्ट अधिकारी  
उपनिष्ठा न्यायाधीश

जिला गरियाबंद छ0ग0

विषय :- जप्तशुदा संपत्ति को सुपुर्दानमें में प्रदान करने के संबंध में।

आवेदक : शेखाराम सह

संलग्न आवेदन पत्र का अवलोकन कर अपनी रिपोर्ट नीचे लिखे प्रारूप में लिखकर इस आवेदन के साथ न्यायालय में दिनांक 6/4/24 को भेजें, साथ ही केस डायरी भी पेश करें।

शेखाराम सह विरुद्ध 8-07-21-24

10/05/24  
(साया सिंह)  
मु.न्या.मजि.  
गरियाबंद

1. जप्तशुदा संपत्ति का पूर्ण विवरण और नंबर तथा अनुमानित मूल्य
2. जप्ती दिनांक ..... की सूचना दिनांक ..... को भेजी गई
3. सूचना कब और किस अधिकारी को द0प्र0सं0 के तहत भेजी गई
4. अपराध क्रमांक, जुर्म की धारा, जिस संबंध में दर्ज की गई
5. अनुमान किस स्टेज पर
6. क्या प्रत्यक्ष रूप से संपत्ति आवेदक की प्रतीत होती है ?
7. क्या संपत्ति का कोई पहचान चिन्ह है ?
8. संपत्ति किससे जप्त हुई है ?

9. क्या संपत्ति का पहचान कराया जा चुका है ?
10. अग्नी संपत्ति और किसके कब्जे में है ?
11. संपत्ति आवेदक के सुपुर्दनामें में दिये जानें में क्या हर्ज हो सकता है ?
12. ट्रक या वाहन का रजिस्टर्ड नंबर बीमा एवं बीमा कंपनी का नाम
13. ट्रक या वाहन मालिक का नाम
14. घायल व्यक्ति का नाम
15. क्या वाहन का मेकेनिकल मुलाहिजा कराया गया ?
16. केस डायरी।

परिसर \_\_\_\_\_



अतः माननीय न्यायालय से निवेदन है कि आवेदक/सुपुर्ददार को जप्तशुदा हाईवा वाहन क्रमांक सीजी 07 सी एन 9029 को सुपुर्दनामा में प्रदान करने की कृपा हो।

गरियाबंद  
दिनांक 05/02/2024


आवेदक/सुपुर्ददार



अधिवक्ता

वास्ते/आवेदक/सुपुर्ददार

# कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) गरियाबंद (छ.ग.)

क्रमांक की स्थान	पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर सहित आदेश अथवा कार्यवाही	जहां आवश्यक हो, फोटो अथवा कमीनों के हस्ताक्षर, आदेशों का पालन करने वाले सिपिक के तत्काल हस्ताक्षर और ऐसे पालन की तारीख
1	विषय:- खनिजों के अवैध परिवहन वाहन के संख्या में।	3
करण प्रस्तुत दिनांक	<p>खनि निरीक्षक गरियाबंद द्वारा दिनांक 29.01.2024 को वाहन वाहक श्री अनुज धुव निवासी अमलीडीह थाना-बिल्हा जिला बिलासपुर (छ.ग.) के द्वारा ग्राम कुटेना में वाहन क्रमांक सीजी 07 सीपी 8195 द्वारा खनिज रेत के अवैध परिवहन किया जा रहा था। जिसे जप्त कर थाना प्रभारी राजिम के अभिरक्षा में जप्त रखा गया है।</p> <p>अवैध उत्खनन/परिवहन करते पाये जाने पर एम.एम.डी.आर 1957 की धारा 21 एवं छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 2015 के नियम 71 के तहत अवैधानिक होकर दण्डनीय है।</p> <p>अनावेदक श्री ठाकुर राम साहु निवासी बसुन्धरा नगर भिलाई जिला दुर्ग (छ.ग.) स्वतः उपस्थित होकर जप्त खनिज मात्रा 03 घनमीटर के अवैध परिवहन का जुर्म स्वीकार करते हुए, प्रकरण में समझौता हेतु राजीनामा प्रस्तुत करते हुए प्रशमन हेतु निवेदन किया गया है।</p> <p>एम.एम.डी.आर 1957 की धारा 21 एवं 23(क)/छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 2015 के नियम 71 अन्तर्गत शासन द्वारा प्रदत्त अधिकार का प्रयोग करते हुए समझौता शुल्क कुल 26500/- ( छब्बीस हजार पांच सौ रुपये मात्र) रुपये जमा करने पर जप्त वाहन मय खनिज मुक्त किया जाना प्रस्तावित है।</p> <p style="text-align: center;">कृपया अनुमोदनार्थ।</p> <p>सहा. खनि अधिकारी    <span style="float: right;">दिनांक</span></p> <p>श्री प्रदीप/अध्यक्ष/ने. प्रदीप.          अनुमोदन हेतु दिनांक 04.02.2024          खनिज मुक्त किया जाये इसके संबंध में          18.02.2024 को 22 को करे.</p> <p>श्री प्रदीप/निशमानुषा (अ.ग.)            दिनांक 04.02.2024</p>	

## प्रतिवेदन

कलेक्टर  
(खनिज शाखा)  
जिला गरियाबंद (छ0ग0)


विषय:- खनिज रेत का अवैध परिवहन किये जाने बाबत।

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है खनि निरीक्षक गरियाबंद द्वारा दिनांक 28.01.2024 को ग्राम कुटेना में भ्रमण के दौरान अनावेदक द्वारा खनिज रेत का अवैध परिवहन करते पाये जाने पर वाहन जप्त किया गया है। अतः निम्नलिखित विवरण अनुसार अवैध परिवहनकर्ता के विरुद्ध एमएमडीआर एक्ट 1957 की धारा 21 एवं छ.ग. गौण खनिज नियम 2015 के नियम 71 के तहत दर्ज प्रकरण का विवरण निम्नानुसार है:-

1. अवैध परिवहनकर्ता/वाहन चालक का नाम :- श्री अनुज धुव निवासी अमलीडीह थाना-बिल्हा जिला बिलासपुर (छ.ग.)
2. वाहन मालिक का नाम व पता :- श्री ठाकुर राम साहु निवासी वसुन्धरा नगर भिलाई जिला दुर्ग (छ.ग.)
3. अवैध परिवहन में प्रयुक्त वाहन क्रमांक :- सीजी 07 सीपी 8195
4. अवैध परिवहन क्षेत्र का नाम :- कुटेना
5. खनिज का नाम :- रेत
6. खनिज की मात्रा :- 03 टन
7. खनिज मात्रा की रायल्टी राशि :- 150
8. खनिज का बाजार मूल्य :- 450
9. अवैध उत्खनन/परिवहन में एमएमडीआर एक्ट 1957 की धारा 21 एवं छ.ग. गौण खनिज नियम 2015 के नियम 71 के तहत
  - रायल्टी का 10 गुना :- 1500
  - प्रस्तावित समझौता राशि :- 25000
10. एमएमडीआर एक्ट 1957 की धारा 21 व 23(क) एवं छ.ग. गौण खनिज नियम 2015 के नियम 71 के तहत अर्धदण्ड/समझौता राशि :- 26500/- (छब्बीस हजार पांच सौ रूपयें मात्र)

प्रतिवेदन अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

  
एफ.एल.नागेश  
सहायक खनि अधिकारी  
जिला गरियाबंद (छ0ग0)

स्थान :- कुटेना  
दिनांक :- 30/11/24  
समय :- 11:00

कथन  
(वाहन चालक)

मे. अनुज सु. पिता का नाम श्री. रमेश चंद्र सु.  
उम्र 45 वर्ष, जाति ओ. निवासी/ग्राम प्रमलडीहा थाना बिल्टा  
तहसील बिल्टा जिला किनासुत राज्य का रहने वाला हूँ।  
मेरा ड्रायविंग लाइसेंस नम्बर वाहन क्रमांक CG-07CP-8195  
वाहन मालिक का नाम श्री. बसुराम सा. पिता का नाम श्री. रमेश चंद्र सु.  
निवासी बिल्टा थाना तहसील बिल्टा जिला है।  
सत्य कथन करता हूँ कि मैं वाहन मालिक के आदेश से इस वाहन में खनिज रेशम का परिवहन कर ले  
जा रहा हूँ। वाहन में खनिज की मात्रा 3 प्रम/टन/फीट/नग है। यह खनिज मैं ग्राम कुटेना  
में स्थित खदान से ला रहा हूँ जो उत्खननकर्ता श्री. कुटेना की खदान है। इस खनिज को मैं  
निर्माण स्थल बिल्टा में ले जा रहा हूँ। यह मेरा आज का पहला सवकर/ट्रिप है।  
खनिज/उत्पाद को परिवहन करने का मेरे पास कोई रायल्टी पर्ची/वैध अनुमति नहीं है।

अथवा

मेरे द्वारा अभिवहन पास है, लेकिन मेरे द्वारा समय/दिनांक/खनिज की मात्रा में  
संशोधन किया गया है। मुझे मालूम है, कि बिना रायल्टी पर्ची/अभिवहन पास के खनिज परिवहन दण्डनीय है।  
मैं उक्त अपराध स्वीकार करता हूँ।

इस कथन को मुझे खनि अधिकारी/खनि निरीक्षक द्वारा पढ़कर सुनाया गया। कथन बताये  
अनुसार सही-सही दर्ज पाया। तत्पश्चात हस्ताक्षर किया।

सम्बन्ध में उपस्थित गवाह :-

1. नाम ..... पिता का नाम .....  
निवासी ..... थाना ..... तहसील ..... जिला .....  
हस्ताक्षर .....

वाहन चालक/वाहन मालिक के हस्ताक्षर

कथन मेरे द्वारा लिपिबद्ध किया गया है

(हस्ताक्षर)  
30/11/24  
Sudhanshu Sahu  
Mining Inspector  
Dist. - Gariaband (C.G.)

## जप्तीनामा

स्थान :- हरेना  
दिनांक :- 20/11/24  
समय :- 1 PM

जप्त करने वाले अधिकारी का नाम अनुज कुंवर पदनाम खनिज निरीक्षक  
जिससे जप्त किया गया श्री अनुज कुंवर पिता श्री गजराज कुंवर  
उम्र 44 वर्ष, जाति ब्राह्मण निवासी अकलीरी थाना किरवा  
तहसील दिल्ली जिला दिल्ली राज्य दिल्ली जप्तशुदा खनिज/सामग्री :-  
1. वाहन क्र. DL-26-8491 2. खनिज की मात्रा 200 किलो

जप्ती का कारण :-

छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 2015 के नियम 71 एवं खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) 1957 की धारा 21(1)(4) के अनुसार खनिज का अवैध उत्खनन एवं परिवहन करने के फलस्वरूप छत्तीसगढ़ खनिज (खनन, परिवहन तथा भण्डारण) नियम 2009 के नियम 14 में निहित शर्तों का उल्लंघन करने के कारण जप्त किया गया।

जप्ती के समय उपस्थित गवाहों के हस्ताक्षर, नाम एवं पता :-

हस्ताक्षर .....  
1. नाम ..... पिता का नाम .....  
निवासी ..... थाना ..... तहसील ..... जिला .....

हस्ताक्षर .....  
2. नाम ..... पिता का नाम .....  
निवासी ..... थाना ..... तहसील ..... जिला .....

जिससे खनिज जप्त किया गया उस  
व्यक्ति का हस्ताक्षर

अनुज कुंवर

जप्ती करने वाले अधिकारी का नाम,  
हस्ताक्षर

अनुज कुंवर

# कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा जिला-गरियाबंद (छ.ग.)

क्र. २५ / खनिज/अ.प.-उ/2023-24

गरियाबंद, दिनांक 30 / 01 / 2024

थाना प्रमारी,  
थाना पुडी  
जिला-गरियाबंद (छ.ग.)


विषय :- जप्त खनिज मय वाहन अभिरक्षा में रखे जाने बाबत।

—00—

आज दिनांक 30/01/2024 को जांच के समय निम्न वाहनों के द्वारा बिना रायल्टी पर्ची/अभिवहन पास एवं बिना वैध अनुमति के खनिज का अवैध परिवहन किया जाना पाया गया, जो एम.एम.डी.आर. एक्ट, 1957 की धारा 21, छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 2015 के नियम 71, छत्तीसगढ़ खनिज भण्डारण नियम 2009, छ.ग. रेत एवं व्यवसाय अधिनियम 2019 के नियमों का उल्लंघन है।

क्र.	वाहन क्रमांक	वाहन चालक का नाम व पता	खनिज का नाम
1	कृष्ण CG07CN 9029	नेड कुमारे- निशेट	रेत
2	लक्ष्मी CG07CP 8195	अनुज कुमार निशेट	रेत
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

कृपया कलेक्टर महोदय/खनि अधिकारी गरियाबंद के अग्रिम आदेश तक जप्त वाहन को मय खनिज अभिरक्षा में रखने का कष्ट करे।



सहा.खनि अधिकारी/खनि निरीक्षक  
जिला-गरियाबंद

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

Rs. 20

₹. 20

TWENTY  
RUPEES

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

छत्तीसगढ़ CHHATTISGARH

11AA 191860

शपथ पत्र

मैं अनुज ध्रुव उम्र 34 वर्ष पिता श्री शोभाराम ध्रुव जाति गोड़ निवासी ग्राम अमलिहा तहसील बिल्हा जिला बिलासपुर छ.ग. का हूँ।

जो निम्नलिखित कथन कर शपथ पूर्वक बयान करता हूँ:-

1. यह कि मेरे द्वारा खनिज रेत परिवहन/उत्खनन/भण्डारण कार्य हाईवा द्वारा करता हूँ। उक्त वाहन का रजिस्ट्रेशन क्र. CG 07 CP 8195 है, जिसका चालक अनुज ध्रुव हूँ।
2. यह कि मेरे द्वारा खनिज रेत परिवहन/उत्खनन/भण्डारण के समय अभिवहन पास (रायल्टी पर्ची) मीके पर उपलब्ध नहीं है। जिसका मैं गलती स्वीकार करता हूँ।
3. छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 2015 के नियम 71 एवं खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) 1957 की धारा 21(1)(4) के अनुसार अवैध परिवहन/उत्खनन/भण्डारण के लिए जो भी रायल्टी एवं अर्धदण्ड की राशि निर्धारित किया जायेगा, जमा करने के लिए तैयार रहूंगा।

4. यह कि मेरे द्वारा खनिज रेत अवैध परिवहन/उत्खनन/भण्डारण में जमा आरोपित राशि के संबंध में किसी भी न्यायालय में परिवाद दायर नहीं करूंगा।

उपरोक्त बिंदु क्र. 01 से 04 तक तथ्यों के समर्थन में मैं बिना किसी दबाव के यह शपथ पत्र प्रस्तुत कर रहा हूँ, जो मेरी जानकारी से सही है।

शपथकर्ता

अनुज

STAMP DUTY EXEMPTED  
for O.B.C./S.C./S.T. & C.G. Own  
Stamp Duty Exempted for 10/12/2014

11/02/2024  
Kamran Vermani  
Notary/Advocate  
SAMIABAND (C.G.)

29 JAN 2024

//02//

सत्यापन

मैं अनुज धुव उम्र 34 वर्ष पिता श्री शोमाराम धुव जाति गोड़ निवासी ग्राम अमलिहा तहसील बिल्हा जिला बिलासपुर छ.ग. यह सत्यापित करता हूँ, कि उल्लेखित जानकारी सत्य एवं सही है। जिसे पढ़कर समझकर आज दिनांक 01 माह 02 वर्ष 2024 को स्थान गरियाबंद में हस्ताक्षर कर सत्यापित किया हूँ।

गवाह:-

नाम:-

पिता:-

निवासी:-

सत्यापनकर्ता

अनुज



Statement witnessed or sworn  
before me by the within named

*Ram Kumar Verma*

Ram Kumar Verma  
Notary/Advocate  
Bilahna C.G.

२  
॥

५५

(21)

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) गरियाबंद, छत्तीसगढ़

कलेक्टर परिसर (रूम न 73 प्रथम तल), e-mail: mininggariahand@gmail.com

क्रमांक 831/ख.लि./न्याया./2023-24  
प्रति.

गरियाबंद, दिनांक 06/02/2024

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  
गरियाबंद  
जिला-गरियाबंद (छ.ग.)

विषय :- जप्तशुदा संपत्ति को सुपुर्दानमें में प्रदान करने के संबंध में।

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि हाईवा वाहन क्रमांक सीजी 07 सीएन 9029 द्वारा वाहन चालक श्री नरेन्द्र कुमार सेन निवासी झीट थाना अमलेश्वर जिला दुर्ग के द्वारा खनिज रेत का अवैध परिवहन करते पाये जाने पर एवं वैध दस्तावेज (रायल्टी पर्ची) प्रस्तुत नहीं करने पर एम.एम.डी.आर 1957 की धारा 21 एवं 23(क)/छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 2015 के नियम 71 अन्तर्गत शासन द्वारा प्रदत्त अधिकार का प्रयोग करते हुए वाहन को जप्त कर दिनांक 30.01.2024 को थाना प्रभारी पाण्डुका की अभिरक्षा में रखा गया है।

संलग्न :- एफआईआर की कापी।

  
सहा. खनि अधिकारी  
जिला-गरियाबंद (छ.ग.)



  
6.2.24

न्यायालय ..... महोदय गरियाबंद जिला - गरियाबंद (छ0ग0)

// ज्ञापन //

क्रमांक ..... / मु. न्या. मजि. /

गरियाबंद दिनांक 5/2/24

प्रति,

मान्य-प्रभारी व्यक्ति अधिकारी  
स्थानिक शाखा गरीयाबंद '6

जिला गरियाबंद छ0ग0



विषय :- जप्तशुदा संपत्ति को सुपुर्दानमें में प्रदान करने के संबंध में।

आवेदक : बहादुर राम साहू

संलग्न आवेदन पत्र का अवलोकन कर अपनी रिपोर्ट नीचे लिखे प्रारूप में लिखकर इस आवेदन के साथ न्यायालय में दिनांक 6/2/24 को भेजें, साथ ही केस न्यवरी भी पेश करें।

बहादुर राम साहू विरुद्ध छ0ग0 प्रशासन

सि 9050215  
(जवाब देना)  
न्यायालय, गरियाबंद

1. जप्तशुदा संपत्ति का पूर्ण विवरण और नंबर तथा अनुमानित मूल्य
2. जप्ती दिनांक ..... की सूचना दिनांक ..... को भेजी गई
3. सूचना कब और किस अधिकारी को द0प्र0सं0 के तहत भेजी गई
4. अपराध क्रमांक, जुर्म की धारा, जिस संबंध में दर्ज की गई
5. अनुमान किस स्टेज पर
6. क्या प्रत्यक्ष रूप से संपत्ति आवेदक की प्रतीत होती है ?
7. क्या संपत्ति का कोई पहचान चिन्ह है ?
8. संपत्ति किससे जप्त हुई है ?

9. क्या संपत्ति का पहचान कराया जा चुका है ?
10. अभी संपत्ति और किसके कब्जे में है ?
11. संपत्ति आवेदक के सुपुर्दनामें में दिये जानें में क्या हर्ज हो सकता है ?
12. ट्रक या वाहन का रजिस्टर्ड नंबर बीमा एवं बीमा कंपनी का नाम
13. ट्रक या वाहन मालिक का नाम
14. घायल व्यक्ति का नाम
15. क्या वाहन का मेकेनिकल मुलाहिजा कराया गया ?
16. केस डायरी।

परिसर \_\_\_\_\_

समक्ष न्यायालय श्रीमान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गरियाबंद जिला- गरियाबंद  
(छ0ग0)

ठाकुर राम साहू उम्र 50 वर्ष  
पिता मनबोधराम साहू  
निवासी वसुंधरा नगर, मिलाई 3,  
जिला दुर्ग छ0ग0

— आवेदक/सुपुर्ददार

//बनाम//

छ0ग0 शासन  
द्वारा खनिज अधिकारी गरियाबंद

— अभियोजक

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 457 दण्ड प्रक्रिया संहिता  
आवेदक/सुपुर्ददार की ओर से निम्नानुसार आवेदन प्रस्तुत है:-

1. यह कि खनिज अधिकारी गरियाबंद के द्वारा आवेदक/सुपुर्ददार के एक हाईवा वाहन क्रमांक सीजी 07 सीपी 8195 को उक्त प्रकरण में बतौर सबूत के रूप में जप्त किया गया है।
2. यह कि उक्त जप्तशुदा वाहन आवेदक/सुपुर्ददार के वैध स्वामित्व का है, आवेदक/सुपुर्ददार का कन्स्ट्रक्शन कार्य है, जिसमें उक्त वाहन का उपयोग किया जाता है, किन्तु उक्त जप्तशुदा वाहन के जप्त हो जाने से आवेदक/सुपुर्ददार को अपूर्णाय क्षति हो रही है तथा आर्थिक असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है।
3. यह कि छ0ग0 गौण खनिज नियम 2015 के नियम 71 (1) के अनुसार उल्लंघानकर्ता पर अर्थदण्ड अधिरोपित करने का अधिकार नियम 71 (3) को ध्यान में रखते हुए माननीय न्यायालय को अधिकार है क्योंकि इसी नियम में ऐसे अपराध के विचारण करने की अधिकारिता माननीय न्यायालय को होना बताया गया है। छ0ग0 गौण खनिज नियम 2015 के नियम 71 (4) में यह प्रावधानित है कि नियम 71 (2) के अधीन अभिग्रहित संपत्ति अभिग्रहण करने वाले अधिकारी के समाधान कारक एक बंध पत्र निष्पादित किये जाने पर निर्मुक्त की जा सकती है, इसी नियम के उप नियम (3) के अधीन आवेदक/सुपुर्ददार को रिपोर्ट प्रस्तुत करने के पश्चात् अभिग्रहित संपत्ति ऐसे मजिस्ट्रेट के आदेश से छोड़ी जा सकती है। यह कि माननीय उच्चतम न्यायालय के न्याय दृष्टांत सुन्दरभाई अम्बालाल देसाई बनाम गुजरात राज्य ए.आई.आर. 2003 एस.सी. 638 के परिप्रेक्ष्य में जप्तशुदा वाहन अंतरिम अभिरक्षा में सुपुर्दना में संबंधित वाहन स्वामी/आवेदक/सुपुर्ददार को दिये जाने में कोई विधिक बाधकता होना दर्शित नहीं होता।
5. यह कि आवेदक/सुपुर्ददार उक्त जप्त शुदा वाहन को प्राप्त करने हेतु माननीय न्यायालय के समस्त आदेशित, निर्देशित शर्तों को पूर्ण करने के लिए तत्पर एवं तैयार है, आवेदक/सुपुर्ददार उक्त जप्तशुदा वाहन को सुपुर्दना में प्राप्त करने के पश्चात् उसके भौतिक स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं करेगा, माननीय न्यायालय जब भी जहां भी उक्त जप्तशुदा वाहन को प्रस्तुत करने हेतु आदेशित करेंगे आवेदक/सुपुर्ददार स्वयं के व्यय से उक्त जप्तशुदा वाहन को प्रस्तुत कर देगा।

गोपाल  
कि देव  
5/11/24  
9.5.21/24  
नर

9.5.21/24  
(आवेदक/सुपुर्ददार)  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  
गरियाबंद, जिला दुर्ग, छ0ग0

अतः माननीय न्यायालय से निवेदन है कि आवेदक/सुपुर्ददार को जप्तशुदा हाईवा वाहन क्रमांक सीजी 07 सीपी 8195 को सुपुर्दनामा में प्रदान करने की कृपा हो।




गरियाबंद  
दिनांक 05/02/2024



अधिवक्ता  
वास्ते/आवेदक/सुपुर्ददार

आवेदक/सुपुर्ददार

**कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) गरियाबंद (छ.ग.)**

<p>स्थान</p>	<p>पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर सहित आदेश अथवा कार्यवाही</p>	<p>जहाँ आवश्यक हो, फलों अथवा कडीसों के इस्ताफार, आदेशों का पालन करने वाले लिपिक के तत्पिपा हस्ताक्षर और ऐसे पालन की तारीख</p>
<p>1</p>	<p>विषय- खनिजों के अवैध परिवहन वाहन के संबंध में।</p>	<p>3</p>
<p>प्रकरण प्रस्तुत दिनांक</p>	<p>खनि निरीक्षक गरियाबंद द्वारा दिनांक 30.01.2024 को वाहन चालक श्री नरेन्द्र कुमार सेन निवासी झीट थाना-अमलेश्वर जिला दुर्ग (छ.ग.) के द्वारा ग्राम कुटेना में वाहन क्रमांक सीजी 07 सीएन 9029 द्वारा खनिज रेत के अवैध परिवहन किया जा रहा था। जिसे जप्त कर थाना प्रभारी राजिम के अनिरक्षा में जप्त रखा गया है।</p> <p>अवैध उत्खनन/परिवहन करते पाये जाने पर एम.एम.डी.आर 1957 की धारा 21 एवं छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 2015 के नियम 71 के तहत अंकेधानिक होकर दण्डनीय है।</p> <p>अनावेदक श्री शोभा साहु निवासी मोरिद शीतला पारा भिलाई जिला दुर्ग (छ.ग.) स्वतः उपस्थित होकर जप्त खनिज मात्रा 03 घनमीटर के अवैध परिवहन का जुर्म स्वीकार करते हुए प्रकरण में समझौता हेतु राजीनामा प्रस्तुत करते हुए प्रशामन हेतु निवेदन किया गया है।</p> <p>एम.एम.डी.आर 1957 की धारा 21 एवं 23(क)/छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 2015 के नियम 71 अन्तर्गत शासन द्वारा प्रदत्त अधिकार का प्रयोग करते हुए समझौता शुल्क कुल 26500/- (छब्बीस हजार पांच सौ रुपये मात्र) रुपये जमा करने पर जप्त वाहन मय खनिज मुक्त किया जाना प्रस्तावित है।</p> <p align="center">कृपया अनुमोदनार्थ।</p> <p>सहा. खनि अधिकारी            24/01/24</p> <p>रतन शर्मा / अमर शर्मा</p> <p>अनुमोदित            24/01/24</p> <p>अपर कलेक्टर            24/01/24</p>	

## प्रतिवेदन

कलेक्टर  
(खनिज शाखा)  
जिला गरियाबंद (छ0ग0)


विषय:- खनिज रेत का अवैध परिवहन किये जाने बाबत।

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है खनि निरीक्षक गरियाबंद द्वारा दिनांक 30.01.2024 को ग्राम कुटेना में भ्रमण के दौरान अनावेदक द्वारा खनिज रेत का अवैध परिवहन करते पाये जाने पर वाहन जप्त किया गया है। अतः निम्नलिखित विवरण अनुसार अवैध परिवहनकर्ता के विरुद्ध एमएमडीआर एक्ट 1957 की धारा 21 एवं छ.ग. गौण खनिज नियम 2015 के नियम 71 के तहत दर्ज प्रकरण का विवरण निम्नानुसार है:-

1. अवैध परिवहनकर्ता/वाहन चालक का नाम :- श्री नरेन्द्र कुमार सेन निवासी झीट थाना-अमलेश्वर जिला दुर्ग (छ.ग.)
2. वाहन मालिक का नाम व पता :- श्री शोभा साहु निवासी मोरिद शीतला पारा भिलाई जिला दुर्ग (छ.ग.)
3. अवैध परिवहन में प्रयुक्त वाहन क्रमांक :- सीजी 07 सीएन 9029
4. अवैध परिवहन क्षेत्र का नाम :- कुटेना
5. खनिज का नाम :- रेत
6. खनिज की मात्रा :- 03 टन
7. खनिज मात्रा की रायल्टी राशि :- 150
8. खनिज का बाजार मूल्य :- 450
9. अवैध उत्खनन/परिवहन में एमएमडीआर एक्ट 1957 की धारा 21 एवं छ.ग. गौण खनिज नियम 2015 के नियम 71 के तहत
  - रायल्टी का 10 गुना :- 1500
  - प्रस्तावित समझौता राशि :- 25000
10. एमएमडीआर एक्ट 1957 की धारा 21 व 23(क) एवं छ.ग. गौण खनिज नियम 2015 के तहत अर्थदण्ड/समझौता राशि :- 26500/- (छब्बीस हजार पांच सौ रूपयें मात्र)

प्रतिवेदन अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

  
एफ.एल.नागेश  
सहायक खनि अधिकारी  
जिला गरियाबंद (छ0ग0)

स्थान - कुर्ना  
दिनांक - 30/01/2024  
समय -

कथन  
(वाहन चालक)

मैं नरेश कुमार सेन पिता का नाम श्री सुरेश कुमार सेन  
उम्र 37 वर्ष जाति ब्राह्मण निवासी/ग्राम रुहीट थाना डामलेखपुर  
तहसील प्रातन जिला बलरघाट राज्य छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूँ  
मेरा ड्रायविंग लाइसेंस नम्बर ..... वाहन क्रमांक हा.वा. 0607 CN 3029  
वाहन मालिक का नाम श्री शोभा लाल पिता का नाम श्री रामेश प्रसाद लाल  
निवासी मोरीद शिवपुर धाना खिलार चरौगा तहसील मिलार जिला डुंग है।  
सत्य कथन करता हूँ कि मैं वाहन मालिक के आदेश से इस वाहन में खनिज रेत का परिवहन कर ले  
जा रहा हूँ। वाहन में खनिज की मात्रा 12 घ.मी./टन/फीट/नग है। यह खनिज मैं ग्राम कुटेगा  
में स्थित खदान से ला रहा हूँ जो उत्खननकर्ता श्री ..... की खदान है। इस खनिज को मैं  
निर्माण स्थल खिलाई में ले जा रहा हूँ। यह मेरा आज का 01 चक्कर/ट्रिप है।

खनिज/उत्पाद को परिवहन करने का मेरे पास कोई रायल्टी पर्ची/वेध अनुमति नहीं है।

अथवा

मेरे द्वारा अभिवहन पास नहीं है, लेकिन मेरे द्वारा समय/दिनांक/खनिज की मात्रा में  
संशोधन किया गया है। मुझे मालूम है, कि बिना रायल्टी पर्ची/अभिवहन पास के खनिज परिवहन दण्डनीय है।  
मैं उक्त अपराध स्वीकार करता हूँ।

इस कथन को मुझे खनि अधिकारी/खनि निरीक्षक द्वारा पढ़कर सुनाया गया। कथन बताये  
अनुसार सही-सही दर्ज पाया। तत्पश्चात हस्ताक्षर किया।


  
(हस्ताक्षर)

सम्बन्ध में उपस्थित गवाह :-

1. नाम ..... पिता का नाम .....  
निवासी ..... थाना ..... तहसील ..... जिला .....  
हस्ताक्षर .....

वाहन चालक/वाहन मालिक के हस्ताक्षर

कथन मेरे द्वारा लिपिबद्ध किया गया है



  
खनि निरीक्षक

## जप्तीनामा

स्थान :- कुलेवा

दिनांक :- 30/01/2024

समय :-

8 माक  
प्रति.

जप्त करने वाले अधिकारी का नाम सुभाष चन्द्र साहू पदनाम खनिज निरीक्षण खनिज क्षेत्र  
जिससे जप्त किया गया श्री सुरेश कुमार खेन पिता सुरेश कुमार खेन  
उम्र 37 वर्ष, जाति नर्स निवासी झीट थाना अमलेखपुर  
तहसील पाटन जिला दुर्ग राज्य छ.ग. जप्तशुदा खनिज/सामग्री :-

1. वाहन क्र. छ.ग. 6407 LN 2. खनिज की मात्रा 3. 9029 12 ट.मी.

जप्ती का कारण :-

छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 2015 के नियम 71 एवं खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) 1957 की धारा 21(1)(4) के अनुसार खनिज का अवैध उत्खनन एवं परिवहन करने के फलस्वरूप छत्तीसगढ़ खनिज (खनन, परिवहन तथा भण्डारण) नियम 2009 के नियम 14 में निहित शर्तों का उल्लंघन करने के कारण जप्त किया गया।

जप्ती के समय उपस्थित गवाहों के हस्ताक्षर, नाम एवं पता :-

हस्ताक्षर .....

1. नाम ..... पिता का नाम .....  
निवासी ..... थाना ..... तहसील ..... जिला .....

हस्ताक्षर .....

2. नाम ..... पिता का नाम .....  
निवासी ..... थाना ..... तहसील ..... जिला .....

जिससे खनिज जप्त किया गया उस  
व्यक्ति का हस्ताक्षर

जप्त करने वाले अधिकारी का नाम,  
हस्ताक्षर

कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा जिला-गरियाबंद (छ.ग.)

ला.  
11.2024  
ज  
पत्र

क्रमांक 2 / खनिज / अ.प.-उ / 2023-24

गरियाबंद, दिनांक 30 / 01 / 2024

थाना प्रभारी,  
थाना दाउडा  
जिला-गरियाबंद (छ.ग.)

विषय :- जप्त खनिज मय वाहन अभिरक्षा में रखे जाने बाबत।

—00—

आज दिनांक 30/01/2024 को जांच के समय निम्न वाहनों के द्वारा बिना रायल्टी पर्ची/अभिवहन पास एवं बिना वैध अनुमति के खनिज का अवैध परिवहन किया जाना पाया गया, जो एम.एम.डी.आर. एक्ट, 1957 की धारा 21, छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 2015 के नियम 71, छत्तीसगढ़ खनिज भण्डारण नियम 2009, छ.ग. रेत एवं व्यवसाय अधिनियम 2019 के नियमों का उल्लंघन है।

क्र.	वाहन क्रमांक	वाहन चालक का नाम व पता	खनिज का नाम
1	रफ्तार CG07CN 9029	नरेन्द्र कुमार सिंह नि.शहर	रेत
2	रफ्तार CG07CP 8195	अनुज कुमार नि.अमलखी	रेत
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

कृपया कलेक्टर महोदय/खनि अधिकारी गरियाबंद के अग्रिम आदेश तक जप्त वाहन को मय खनिज अभिरक्षा में रखने का कष्ट करे।

जिला-गरियाबंद (छ.ग.)  
दि.....

सहा.खनि अधिकारी/खनि निरीक्षक  
जिला-गरियाबंद



छत्तीसगढ़ CHHATTISGARH

11AA 191861

शपथ पत्र

STAMP DUTY EXEMPTED  
O.F.C / S.C / S.T / S.V. / C.G. / S.P.  
No. 10/2017

मैं नरेन्द्र सेन उम्र 37 वर्ष पिता श्री सुरेश कुमार सेन जाति नाई निवासी ग्राम झिट  
तहसील पाटन जिला दुर्ग छ.ग. का हूँ।

जो निम्नलिखित कथन कर शपथ पूर्वक बयान करता हूँ:-

1. यह कि मेरे द्वारा खनिज रेत परिवहन/उत्खनन/भण्डारण कार्य हाईवा द्वारा करता हूँ। उक्त वाहन का रजिस्ट्रेशन क्र. CG 07 CN 9029 है, जिसका चालक नरेन्द्र सेन हूँ।
2. यह कि मेरे द्वारा खनिज रेत परिवहन/उत्खनन/भण्डारण के समय अभिवहन पास (रायल्टी पर्ची) मीके पर उपलब्ध नहीं है। जिसका मैं गलती स्वीकार करता हूँ।
3. छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 2015 के नियम 71 एवं खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) 1957 की धारा 21(1)(4) के अनुसार अवैध परिवहन/उत्खनन भण्डारण के लिए जो भी रायल्टी एवं अर्थदण्ड की राशि निर्धारित किया जायेगा, जमा करने के लिए तैयार रहूंगा।
4. यह कि मेरे द्वारा खनिज रेत अवैध परिवहन/उत्खनन/भण्डारण में जमा आरोपित राशि के संबंध में किसी भी न्यायालय में परिवाद दायर नहीं करूंगा।

उपरोक्त बिंदु क्र. 01 से 04 तक तथ्यों के समर्थन में मैं बिना किसी दबाव के यह शपथ पत्र प्रस्तुत कर रहा हूँ जो मेरी जानकारी से सही है।

शपथकर्ता

नरेन्द्र सेन

01/02/2020  
Gan Kumar Verma  
Notary/Advocate  
BARIABAND (C.B.)

//02//

सत्यापन

मैं नरेन्द्र सेन उम्र 35 वर्ष पिता श्री सुरेश कुमार सेन जाति नाई निवासी ग्राम झिट तहसील पाटन जिला दुर्ग छ.ग. यह सत्यापित करता हूँ, कि उल्लेखित जानकारी सत्य एवं सही है। जिसे पढ़कर समझकर आज दिनांक 01 माह 02 वर्ष 2024 को स्थान गरियाबंद में हस्ताक्षर कर सत्यापित किया हूँ।

गवाह:-

नाम:-

पिता:-

निवासी:-

सत्यापनकर्ता

नरेन्द्र सेन



I solemnly affirmed or sworn  
before me by the within named

*Ram Kumar Verma*  
Ram Kumar Verma  
Notary/Advocate  
Garhbandh (C.G.)

**Indian Union Vehicle Registration Certificate**  
**Issued by Government of Chhattisgarh**

Regn. Number **CG07CN9829** Date of Regn. **12-08-2023** Regn. Validity **As per Fitness**

Chassis Number **MB1ALNDWPP006300**  
 Engine / Motor Number **PRZ117812**

Owner Serial **1**

Owner Name **SHOBHARAM SANKU**  
 Son / Wife / Daughter of (In case of Individual Owner)  
**SHYAM PRASAD SANKU**  
 Address  
**S/O SHYAM PRASAD SANKU, 212K, SEWA PARA, MORE  
 D WARD NO-35, BHILAI CHARODA B. M. V., DURG, Chh.  
 CG, 490025**

Fuel **DIESEL**  
 Embodian Name **BHARAT STAGE**  
**VI**

Card Issue Date: 24-08-2023

**Vehicle Class: Goods Cartage (GV)**

Regn. Number **CG07CN9829**

Maker's Name **ASHOK LEYLAND LTD**

1043100177



Model Name **UN223/32 T TP**

Colour **WHITE**

Body Type **BOX BODY TAPPER**

Seating (In all) / Standing / Sleeper Capacity  
**2 / 0 / 0**

Month-Year of Mfg. **04-2023**

Unladen / Laden / Gross Combination Weight (kg)  
**14000 / 32000 / 0**

Number of Cylinders **6**

Cubic Capacity / Horse Power (CV/KW)  
**6074.60 / 246.56**

Wheel Base (mm) **1200**


Number of Axle **3**

Financer Name **ASHOK LEYLAND FINANCE LIMITED**

Registration Authority  
**DURG RTO**

**TRANSPORT DEPARTMENT, CHHATTISGARH**

**PERMIT IN RESPECT OF GOODS PERMIT (HGV-GOODS PERMIT)  
PART-A**



1. Permit No	CG2023-GP-8079B
2. Name Of The Permit Holder	SHOBHA RAM SAHU
3. Father's/Husband's Name	ISHWARI PRASAD SAHU
4. Address	S/O-ISHWARI PRASAD SAHU, 212/K SHITLA PARA, MORID WARD NO-35 BHILAI CHARODA B. M .Y.,DURG, Chhattisgarh Durg-490025
5.(i) Registration Mark of the Vehicle	CG07CN9029
(ii) Registration Date	12-Aug-2023
(iii) Make/Model	ASHOK LEYLAND LTDUJ3525/52 T TIP
(iv) Chassis Number	MB1JLHD9PPKW6380
(v) Engine Number	PKPZ117612
(vi) Class of Vehicle	Goods Carrier
(vii) Number of Persons to be Carried	2
(viii) Replacement Of Vehicle	
(ix) Other Chassis Field	
(x) Manuf. year of the motor vehicle	2023
(x) Name of Financer, if any, with whom the Vehicle is under Hire Purchase Agreement	HINDUJA LEYLAND FINANCE LIMITED
(xi) Service Type	Select Service Type

6. The route or routes of the area for which the permit is valid:

Region Covered : CHHATTISGARH

7. Validity of the Permit :

From: 01-Sep-2023 To: 31-Aug-2028

8. Load Capacity of Vehicle :

(i) Gross Weight of Vehicle	35000
(ii) Untaden Weight	14494
(iii) Pay Load	20506

9. Nature of Goods to be carried

Date 01-Sep-2023

*(Signature)*  
 Secretary  
 State Regional Transport Authority,  
 DURG RTU, Chhattisgarh





# INDIAN UNION DRIVING LICENCE

## CHHATTISGARH STATE

Form 7



Number CG04 20130028858  
 Name HARENDRA KUMAR SEN  
 S/D/W of SURESH KUMAR SEN  
 Address H.No. 100 NO 7 JHEET  
 P.O. DURG JHEET, DURG  
 CG  
 Issued on 29-02-2028  
 DoB 29-02-1987 BG



Is licensed to drive the following vehicles throughout India

Vehicle Class	MCWG	LMV	TRANS
Date of issue	07-12-2013	07-12-2013	07-12-2018

Valid till (Transport) 29-02-2028  
 Valid till (Non-Transport) 04-12-2033 Badge No 3124

HOLDER'S SIGNATURE

2019



# DISTRICT SURVEY REPORT GARIYABAND (Chhattisgarh)

AS PER NOTIFICATION NO. S.O. 141(E) NEW  
DELHI, 15TH JANUARY, 2016 OF MINISTRY OF  
ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE  
CHANGE




DIRECTORATE OF GEOLGY AND MINING  
MINERAL AND METALS DEPARTMENT  
Govt. of Chhattisgarh

# LOCATION MAP OF GARIYABAND DISTRICT





# POLITICAL MAP - GARIABAND



**Legend**

- TMSL HO
- DISTRICT HO
- National Highway
- State Highway
- District Road
- Village Road
- RAILWAY
- RIVER
- Reservoirs



## 1. प्रस्तावना (INTRODUCTION)

भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधिसूचनाकमांक 141अ, दिनांक 15 जनवरी 2016 के पैरा 7 में दिये निर्देश एवं परिशिष्ट 10 के अनुसार जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत है।

जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार करने का मुख्य उद्देश्य भूमिवृद्धि या जमाव की क्षेत्रों की पहचान जहा खनन को अनुज्ञात किया जा सकता है। अपक्षरण के क्षेत्रों की पहचान तथा उसकी अवसंरचना ढाँचों और संस्थापनों से निकटता जहां खनन को प्रतिसिद्ध किया जाना चाहिए। फिर से भराव की वार्षिक गणना तथा क्षेत्र में खनन के पश्चात भराव की गणना करना होगा।

इसका उपयोग जिले में खनन उद्योग हेतु जिला स्तरीय पर्यावरण संघात निर्धारण प्राधिकरण (डीईआईएए DEIAA ) एवं जिला स्तरीय विशेषज्ञ निर्धारण समिति (डीईएसी DEAC )द्वारा लघु खनिज (Minor Mineral ) एवं रेत (Sand) के खनन (Mining) हेतु पर्यावरण अनापत्ति (Environment Clearance) देने के लिए की जावेगी।

इस रिपोर्ट में गरियाबंद जिले का खनिज, भू-विज्ञान, खनन उद्योग, जल, वन, कृषि एवं सिंचाई इत्यादि से संबंधित समग्र जानकारी दी गई है।

गरियाबंद जिला का निर्माण 1 जनवरी सन् 2012 को रायपुर जिला के विभाजन से हुआ। जिला में 5 तहसीलें कमशः गरियाबंद, मैनपुर, छुरा, फिंगेश्वर (राजिम) व देवमोग सम्मिलित किये गये। जिला का क्षेत्रफल 5850 वर्ग कि.मी. एवं जनसंख्या 597653 है एवं 332 ग्राम पंचायत है। गरियाबंद जिले छत्तीसगढ़ राज्य के दक्षिण भाग में स्थित है यह जिला भारतीय सर्वेक्षण विभाग की डिग्री शीट संख्या 64<sup>HL&L</sup> में उत्तर में 19 46"29.57' से 21 02"43.94' अक्षांश से पूर्व में 81 51"42.22' से 82 43"14.22' पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। यह जिला उत्तर में रायपुर व पूर्व में महासमुंद व उड़ीसा राज्य के कालाहांडी जिला तथा दक्षिण में उड़ीसा के कोरापुट जिले और पश्चिम में धमतरी जिलों से परिसीमित है। गरियाबंद जिला प्रदेश राज्य मुख्यालय रायपुर के दक्षिण भाग में स्थित है। राजिम, छुरा, गरियाबंद ,फिंगेश्वर, मैनपुर, तथा देवमोग जिले के प्रमुख शहर है। यह जिला सड़क मार्ग से भली भाँति जुड़ा हुआ है। जिले के समस्त प्रमुख स्थान राजकी राजमार्गों व पक्के मार्गों द्वारा जुड़े है। दक्षिण मध्य पूर्वी रेल्वे की रायपुर से राजिम तक ब्रांच लाइल गुजरती है।

**2. जिले में खनन कार्यकलापों पर विहंगम दृष्टि**  
**Overview of Mining Activity in the District**

गरियाबंद जिले में मुख्य रूप से हीरा एलेक्जेंडराइड, गार्नेट, ग्रेनाइट, फर्शीपत्थर, मुरुम, रेत इत्यादि खनिज पाये जाते हैं। हीरा एवं एलेक्जेंडराइड खनिज का खनन अभी नहीं हो रहा है किंतु भविष्य में नीलाम के माध्यम से Lease देने की प्रक्रिया की जावेगी। वर्तमान में केवल छोटे खनिज (फर्शीपत्थर एवं साधारण पत्थर) एवं बालू (Sand) का खनन हो रहा है।

जिले में फर्शीपत्थर के 40 खदाने कमशः बासीन, बरभाठा, विनोरी, भसरा इत्यादि ग्रामों एवं सरगी नाला के आस पास में संचालित है। यह जिले का खनिज राजस्व प्राप्ति का मुख्य साधन है। इसके अतिरिक्त जिले में प्रवाहित होने वाले नदियों एवं नालो से रेत खनिज की निकासी की जाती है। जिले में रेत के 23 खदाने कमशः महानदी, पैरी, सूखा नदी, साँदूर नदी, सलगी नदी के किनारे स्थित ग्राम पंचायतो के द्वारा संचालित हो रही है।

साधारण मिट्टी एवं मुरुम के खदाने भी इस जिले में संचालित है। भवन एवं सड़क निर्माण कार्य के लिए जिले के विभिन्न भागों में साधारण पत्थर मुरुम एवं मिट्टी (ईट निर्माण हेतु) के खनन अनुज्ञप्ति एवं परिवहन अनुमति प्रावधान के अनुरूप प्रदान किया गया है।

3. अवस्थिति, क्षेत्र और विधिमान्यता का कालावधि के साथ जिले में खनन पट्टों की सूची:-

**List of Mining Leases and Sand in the District with location, area and period of validity**

(क) खनिज फर्शीपत्थर/चूनापत्थर पट्टो की सूची

S.no.	Name of the Mineral	Name of the leasee	Address and Contact no of lessee	Mining lease Grant order no & date	Area of Mining lease (ha)	Period of Mining lease (Initial)		Period of Mining lease (1st/2nd...revelal)		Status (Working/ Non-working/T emp. Working for dispatch etc.)	Obtained Environmental Clearance (Yes/No.) If Yes Letter No with date of grant of EC	
						7	8	9	10		13	14
1	flagstone	Pramod tiwari	Raipur	01-12-2000	1327	01-12-2001	30-11-2031	01-12-2011	22-03-2017	Working	Yes	25-10-2016
2	flagstone	Rajendra gupta	Rajim	13-10-2006	42	13-10-2006	12-10-2036	21-03-2017	&	Working	Yes	07-02-2017
3	flagstone	Ajay jadhani	Basin	10-07-2008	1177] 1178	06-03-2008	05-03-2028	&	&	Working	Yes	17-03-2017
4	flagstone	Mohan sahu	Borsi	&	1178	03-01-2007	30-01-2027	22-03-2017	&	Working	Yes	17-03-2017
5	Earth bricks	Smt Priti sharma	Mahasamu nd	25-10-2016	138]140]141]144]145]151]157]158]159]160	09-11-2011	08-11-2041	09-11-2011	06-12-2017	Working	Yes	25-10-2016
6	flagstone	Pramod chhallani	Rajim	16-12-2007	2]3]4]8]11]3	13-12-2007	12-12-2037	13-12-2007	22-03-2017	Working	Yes	17-03-2017
7	flagstone	Kamll Eshani	Rajim	22-07-2009	1318]1319]1320]1321]1322	22-07-2009	21-07-2039	25-11-2016	&	Working	Yes	25-10-2016
8	flagstone	Lalit mahadik	Rajim	&	848]27	31-08-2010	08-10-2030	27-08-2010	22-03-2017	Working	Yes	07-02-2017
9	flagstone	Satnam Tiles	Basin	24-04-2012	1017]1019	24-04-2012	23-04-2022	02-01-2017	&	Working	Yes	25-10-2016
10	flagstone	Satnam Tiles	Basin	15-12-2002	1327	15-12-2007	14-12-2027	15-12-2007	22-03-2017	Working	Yes	17-03-2017

11	flagstone	Dharmendra parmar	Basin	&	1006]10 07	15-09- 2012	13-09- 2022	&	&	Working	Yes	17-03-2017
12	flagstone	Santosh upadhyay	Rajim	14-02- 2017	165]162 @2] 168]169 @2]170]1 78	22-02- 2013	21-02- 2023	&	&	Working	Yes	07-02-2017
13	flagstone	Santosh upadhyay	Rajim	27-02- 2006	88@1	04-12- 2005	26-10- 2026	04.12.201 0	22.03.2017	Working	Yes	07-02-2017
14	flagstone	Smt suanjana upadhyay	Rajim	09-05- 2017	1075@1] 1075@2	04-12- 2012	03-12- 2042	21-03- 2017	&	Working	Yes	07-02-2017
15	flagstone	Bhagirathi Sahu	Rajim	17-10- 2014	1461	17-10- 2014	16-10- 2044	07-03- 2017	&	Working	Yes	07-02-2017
16	flagstone	Ramesh sahu	Borsi	&	30]32	02-01- 2000	01-01- 2030	02-01- 2010	22-03- 2017	Working	Yes	17-03-2017
17	flagstone	Anita sahu	Barbhanta	15-02- 2012	27	15-02- 2012	14-02- 2042	21-05- 2017	&	Working	Yes	07-02-2017
18	flagstone	Ramesh sahu	Bhasera	11-03- 2015	1027]102 9]1031	01-03- 2011	28-02- 2041	21-03- 2017	&	Working	Yes	07-02-2017
19	flagstone	Jai mauli mata	Fingeshwar	&	17]20]21] 22]23]34] 35	15-02- 2012	14-02- 2042	17-02- 2017	&	Working	Yes	07-02-2017
20	flagstone	Smt sarita saraf	Rajim	28-08- 2017	1050]105 2	07-04- 2012	06-04- 2022	&	&	Working	Yes	17-03-2017
21	flagstone	Jai ma ramni path	Barbhanta	&	12]44]45	07-06- 2016	06-06- 2021	&	&	Working	Yes	17-03-2017
22	flagstone	Abhishek tiles	Raipur	12-07- 2004	108]109	21-06- 2004	20-06- 2034	22-03- 2017	&	Working	Yes	17-03-2017
23	flagstone	Yogendra sahu	Basin	25-09- 2017	1416	29-08- 2017	28-08- 2047	&	&	Working	Yes	03-08-2017
24	flagstone	Sadguru tiles	Basin	17-12- 1997	1327	31-01- 2008	30-01- 2028	14-12- 2008	22-03- 2017	Working	Yes	17-03-2017
25	Ordinary Stone	Tulesh rajpoot	Jungle dhawalpur	&	144	22-02- 2013	21-02- 2043	&	&	Working	Yes	12-09-2016
26	flagstone	Gurukripa polishing	Rajim	29-08- 2007	53	26-08- 2007	25-08- 2027	22-03- 2017	&	Working	Yes	17-03-2017
27	flagstone	Jai maa bhawani	Raipur	&	1315]131 6]1317]13 37]1338	15-02- 2022	14-12- 2042	&	&	Working	Yes	07-02-2017
28	flagstone	Arti infrastructure	Raipur	&	583	07-08- 2017	06-09- 2047	&	&	Working	Yes	03-08-2017
29	flagstone	Santoshi bai sinha	Basin	14-11- 2002	1012	13-05- 2002	12-05- 2032	21-03- 2017	&	Working	Yes	17-03-2017
30	flagstone	Vinita sharma	Basin	05-05- 2009	1027]102 8	05-05- 2009	04-05- 2039	31-03- 2017	&	Working	Yes	17-03-2017
31	flagstone	Ranvishal ogre	Basin	26-03- 2011	1014	26-03- 2011	25-03- 2026	26-03- 2016	&	Working	Yes	17-03-2017
32	flagstone	Ranu lal jain	Basin	&	1012	18-04- 2007	04-04- 2027	22-03- 2017	&	Working	Yes	17-03-2017
33	flagstone	Ishwar joshi	Bhasera	22-07- 2010	31	13-08- 2010	12-08- 2020	&	&	Working	Yes	17-03-2017
34	flagstone	Bhawana shirwas	Basin	&	1472@1] 1472@2	07-04- 2012	06-09- 2047	&	&	Working	Yes	03-08-2017
35	flagstone	Yadram sahu	Rajim	25-10- 2017	1460	06-09- 2017	05-09- 2047	&	&	Working	Yes	03-08-2017
36	Grenite	Narmitam sahu	Deobhog	&	77	07-09- 2017	06-09- 2047	&	&	Working	Yes	03-08-2017
37	flagstone	Ranvishal ogre	Basin	30-04- 2003	1327	30-04- 2003	29-04- 2033	16-08- 2018	&	Working	Yes	07-03-2018
38	flagstone	Sharad chaturvedi	Fingeshwar	&	75	01-03- 2004	29-04- 2033	16-03- 2018	&	Working	Yes	07-03-2018
39	flagstone	Kishor sachdev	Rajim	&	75	19-07- 2002	29-04- 2033	&	&	Working	Yes	05-03-2018
40	flagstone	Ratanlal sahu	Basin	13-06- 2018	1459@2	09-03- 2018	09-03- 2018	08-03- 2047	&	Working	Yes	07-03-2018
41	flagstone	Vikas chaturvedi	Basin	05-05- 2006	1448	04-04- 2006	12-03- 2036	13-03- 2018	&	Working	Yes	05-03-2018

**Details of Royalty or Revenue Received in Last Three Year**  
**4. पिछले तीन वर्षों के दौरान गौण-खनिज से प्राप्त स्वामिस्व या राजस्व के ब्यौरे:-**  
**Minor Minerals**

क्रमांक	वित्तीय वर्ष	गौण खनिजों से प्राप्त राजस्व
01	2016-17	18481951
02	2017-18	23136900
03	2018-19	34875184
	<b>कुल</b>	<b>58012084</b>

**4-1 पिछले तीन वर्षों के दौरान गौण खनिज से प्राप्त उत्पादन के ब्यौरे:-**

क्रमांक	वित्तीय वर्ष	गौण खनिज से प्राप्त उत्पादन
01	2016-17	20560
02	2017-18	32419
03	2018-19	22001
	<b>कुल</b>	<b>74980</b>

5. पिछले तीन वर्षों के दौरान रेत से प्राप्त स्वामिस्व या राजस्व के ब्यौरे:-  
**Details of Royalty or Revenue Received in Last Three Year  
Sand**

(अ)

क्रमांक	वित्तीय वर्ष	रेत निकासी से ग्राम पंचायतों को प्राप्त राजस्व
01	2016-17	4808100
02	2017-18	5020550
03	2018-19	10747200
	<b>कुल</b>	<b>25575850</b>

5 पिछले तीन वर्षों के दौरान बालू या बजरी के उत्पादन के ब्यौरे:-

(ब)

क्रमांक	वित्तीय वर्ष	बालू के उत्पादन के ब्यौरे (घनमीटर में)
01	2016-17	240405
02	2017-18	251027
03	2018-19	214944
	<b>कुल</b>	<b>706376</b>

**6. जिले में तलछटों में जमाव की प्रक्रिया:-  
Sedimentation of rivers of District**

**Deposition of sediments in the rivers of the district is due to the heavy rains and flooding in the upperstream.**


Erosion is natural process, wathering, corrosion, or abrasion can reduce a material into smaller particles. Normally, these smaller units are relocated by water, wind, ice, or man. Erosion removes soil, organic material, and other valuable resources.

Once a material is broken free of the larger mass, it can be carried away and deposited elsewhere. This process of depositing eroded material is known as sedimentation. Some indications of sedimentation are sand dunes, mud in the street around drains, and decreased water holding capacity of stream, reservoir, or pond.

Sediment is responsible for more stream and river degradation than any other pollutant. Deposits of sediments in ditches, streams, and rivers reduce their capacity to store water resulting in more frequent and severe flooding and increased property damage. Accumulations of sediment may result in severe damage to storm

drain systems. Many millions of dollars are spent each year to dredge our state waterways, to remove sediments from storm drain systems, reservoirs, and water treatment plants, and to repair flood damage.


## ***Erosion and deposition along a meandering stream***



Meanders get more extreme with time. Deposition at point bar keeps up with erosion at cutbank

Sediment in streams and rivers causes the most damage to aquatic life by severely impacting aquatic animal habitats and degrading water quality. Areas needed for reproduction and food sources are destroyed when fine silts cover the sand and gravel streambed. Decreased clarity of the water prevents sunlight from reaching plants resulting in loss of aquatic plant communities. The result is a reduction in the number and variety of fish and other aquatic life. This impact often can be seen for many miles downstream.

Several "best management practices" (BMPs) have been developed to control erosion and sedimentation. Erosion control prevents soil from dislodging and becoming suspended in runoff. Sediment control removes soil from the runoff.



## **SAND DEPOSITION AT BANK OF RIVER**

Stopping soil from eroding in the first place is more effective but also much more difficult to integrate into a construction schedule. Controlling erosion by establishing vegetative cover is by far the most effective type of erosion control. Clearing and grading in phases as needed reduces the area of exposed soil and preserves topsoil. Seeding and mulching, both temporary and permanent, must be done several times over the course of construction to maintain adequate soil protection.

Silt fences, settling ponds, and inlet protectors all trap sediment on construction sites. They receive runoff, allow time for suspended solids to settle out, and then let the water slowly continue on its way. They do not work as filters to strain out soil particles or the pollutants they transport but reduce their entrance to our waterways. Even at their best they have limited efficiency. A good job of erosion and sediment control might be 75% effective. Some off-site sedimentation is unavoidable.

These erosion control measures, properly implemented and maintained, are the best management practices of sediment control on construction sites.

During all phases of construction it is necessary to prevent silt and sediment from entering the storm drains that empty directly into the nearest creek or pond. This is done by covering the storm drain inlets downstream from construction activities with a dam of geotextile fabric. A gap at the top edge provides and overflows in event of extreme flooding. These inlet covers slow the water flow to allow settling time for the sediment and to let clean water slowly seep through the mesh.

Temporary ponding in the street and around storm drain inlets is common and may last several hours or a day. Ponding can be kept to a minimum by frequent cleaning of the filters and roads. Even if construction is not taking place adjacent to the inlets they must be protected from sediment carried in from work areas by

construction vehicles. Some flooding is inevitable, but with patience and cooperation we can make a positive impact on the health of our streams and rivers.

जिले का सामान्य प्रोफाइल) :-

**7.General Profile of District (**

कांदाडोंगर, भाठीगढ़, कुल्हाड़ीघाट, धवलपुर, मलेवा पहाड़, रमईपाट डोंगरी, भैसामुड़ा पहाड़, फुलझर-बारुका, बग्दनी डोंगरी, चांदी डोंगरी, उरतुली डोंगरी

क्रमांक		
1	जिले का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल	5850 वर्ग कि.मी
2	अक्षांश एवं देशांश	उत्तर में 19 46"29.57' से 21 02"43.94' अक्षांश से पूर्व में 81 51"42.22' से 82 43"14. 22' देशांतर
3	समुद्र तल से ऊंचाई	943 मी. अधिकतम 236 मी. न्यूनतम
5	तापमान	अधिकतम- 44 सेन्टीग्रेड न्यूनतम - 10.2 सेन्टीग्रेड
6	वन क्षेत्रफल	आरक्षित वन क्षेत्र - 397.9 वर्ग कि.मी अवर्गीकृत वन क्षेत्र - 509.8 वर्ग कि.मी <hr/> कुल वन क्षेत्र:- 1951.88 वर्ग कि.मी
		चप निदेशक उदती सीतानदी टाईगर रिजर्व गरियाबंद
7	मिट्टी	भाटा, मटासी, डोमट, कन्हार
8.	नदी तथा नाले	महानदी, पैरीनदी, सोदूर नदी, तेल नदी, उदतीनदी सरगी नाला, सूखानाला, बघनई नाला, झाफन नाला
10	जनसंख्या	597653 (जनगणना 2011 के अनुसार)
11	तहसील (विकासखण्ड)	05- राजिम (फिंगेरवर), गरियाबंद, छुरा, मैनपुर, देवमोग
13	नगर पंचायत	03-राजिम, फिंगेरवर, छुरा
14	ग्राम पंचायत	332


8. जिले में भूमि उपयोग का पैटर्न : वन, कृषि, उद्यान कृषि, खनन आदि।  
**Land Utilition Pattern in the district: Forest, Agriculture, Horticulture, Mining etc.**

यातायात :- गरियाबंद जिले का यातायात के प्रमुख साधन सड़क मार्ग हैं। जिला मुख्यालय एवं तहसील मुख्यालय प्रदेश की राजधानी रायपुर से सड़क मार्ग से जुड़ी हुई है। सम्पूर्ण जिला प्रधानमंत्री सड़क योजना/मुख्यमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत बनी प्रमुख मार्गों से तहसील/ब्लॉक/पंचायत मुख्यालय जुड़ा हुआ है। इस प्रकार सम्पूर्ण जिला में आवगमन यातायात का पर्याप्त साधन है। राज्य राजमार्ग रायपुर, राजिम,फिंगेश्वर, गरियाबंद, देवभोग जिले मध्य से गुजरती हुई उड़ीसा राज्य को जोड़ती है।

कृषि :- जिले के मुख्य व्यवसाय कृषि कार्य है जिसके अंतर्गत 14 लाख हेक्ट. में कृषि कार्य की जाती है जिसमें से 67570 हेक्ट. द्विफसलीय कृषि क्षेत्र हैं। इस जिले में प्रमुख फसल धान, मक्का, कोदो, कुटकी, चना, तिवरा, मसर, उड़द, है। जिले में चार प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। जिसमें कन्हार एवं मटासी भाँठा एवं दोमट मुख्य है।


सिंचाई :-जिले में सिंचाई के मुख्य साधन पैरी नदी में बने सिकासेर बाँध है किन्तु साँदूर सरगी नाला, सूखा नाला इत्यादि से भी फसलो की सिंचाई होती है। जिले का मदानी भाग पैरी नदी मे बने कुगदा पिक-अप डाइवर्सन बाँध से भी सिंचाई होती है। र

वन :-जिले में कुल 1951.86 वर्ग कि.मी. वन क्षेत्र जिसमें 983.94 कि.मी. उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट क्षेत्र के अंतर्गत संरक्षित है।




दूर स्थित माटीगढ़ पहाड़ी है। मैनपुर एवं गरियाबंद से प्रवाहित होते हुए महानदी में मिलकर प्रयाग नगरी राजिम में संगम बनाती है। गरियाबंद विकासखण्ड के ग्राम पंटोरा के पास सोंदूर नदी पैरी नदी में मिलती है। सोंदूर नदी गरियाबंद एवं धमतरी जिला की सीमा रेखा बनाते हुए प्रवाहित होती है जो मोहेरा एवं पंटोरा के पास पैरी नदी में मिल जाती है।

पैरी नदी की लंबाई लगभग 130 कि.मी. है जिससे जिले की 49.56 प्रतिशत सिंचाई इस नदी में बने बांध सिकासेर बाँध से होती है। जिले का कुल सिंचित क्षेत्रफल 70665 हेक्ट. है एवं शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल 55131 हेक्ट. है।



## Physiography of the District

भूआकृतिकी रूप से जिले का उत्तरी भू-भाग मुख्यतः संरचनात्मक मैदान, पर्वतों व घाटियों, अपरिदित ढलानों, पेडीमेन्ट- पेडीप्लेन तथा महानदी से जनित बाढ़कृत मैदानों से युक्त है। जिले का दक्षिणी भू-भाग उन्नत तलों पर विकसित पेडीमेन्ट/पेडीप्लेन तथा अवनत तलों पर विकसित संरचनात्मक पठारों, संरचनात्मक सोपानों-शिलाओं में विकसित सोपानों, अपरिदित ढलानों, अपरिदित पर्वतों व घाटियों तथा पुरातन बाढ़कृत मैदानों से युक्त है। जिले का भू-भाग, महानदी द्रोणी का एक भाग है। क्षेत्र में महानदी, पैरी नदी, व तेल नदियाँ तथा इसकी सहायक नदियाँ भूतल जल-प्रवाह प्रणाली को विकसित करती है। क्षेत्र के भू-भाग का सामान्य झुकाव उत्तरी दिशा की ओर है। यद्यपि दक्षिणी भू-भाग, जो कि तेल उपद्रोणी का एक भाग है, का झुकाव दक्षिण/पूर्व की



ओर है। जिले में अधिकतम ऊँचाई का स्थान समुद्र तल से 943 मी. ऊपर मैनपुर खुर्द से 19 कि.मी. दक्षिणपूर्व दिशा में जिले के दक्षिणी भाग में स्थित है तथा न्यूनतम ऊँचाई का स्थान समुद्र तल से 236 मी. ऊपर फिंगेश्वर से 4.5 कि.मी. उत्तर पश्चिम में जिले के पर्वोत्तर भाग में स्थित है।

कं	जिला /तहसील का नाम	आक्षांश	देशांश	भौगोलिक क्षेत्रफल (हेक्टर में)
1	2	3	4	5
1	फिंगेश्वर	20°-48'-46"	82°-28'-38"	427.27
2	गरियाबंद	20°-57'-46"	81°-53'-05"	726.12
3	छुरा	20°-37'-58"	82°-3'-37"	714.62
4	मैनपुर	19°-53'-55"	82°-14'-03"	670.52
5	देवभोग	20°-17'-36"	82°-14'-03"	301.53
	योग	-	-	2887.06

### **Rainfall of District Gariaband Year wise**

(मात्रा मि.मी. में)

माह	वर्ष 2016-17	वर्ष 2017-18	वर्ष 2018-19
अप्रैल	33.0	0	134.7
मई	27.7	45.2	292.5
जून	845.7	791.8	572.9
जुलाई	1395.9	1490.9	1488.9
अगस्त	1448.0	1298.8	3274.6
सितम्बर	1614.5	1002.1	810.7
अक्टूबर	285.3	375.1	12.2
नवम्बर	0	0	0
दिसम्बर	0	0	249.3
जनवरी	0	0	22.1
फरवरी	0	40.7	29.7
मार्च	49.0	0	46.7

### **11. जियोलाजी और खनिज संपदा Geology and Mineral Wealth**

भूविज्ञान :-गरियाबंद जिला छत्तीसगढ़ राज्य के मध्य पूर्वी भाग में स्थित है। यह जिला भारतीय सर्वे  
C:\Users\user\Desktop\Gariaband\_DSR1.docx

विभाग की डिग्री सीट संख्या 64 एच एल तथा आई में 20 57'46' से 20 17'36' उत्तरी अक्षांश एवं 82 53'05' से 81 53'05' पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है । यह जिला उत्तर में रायपुर, महासमुंद पूर्व व दक्षिण में उड़ीसा राज्य एवं पश्चिम में धमतरी जिलो से परिसीमित है। गरियाबंद जिला प्रदेश मुख्यालय जिला रायपुर 90 कि.मी. दक्षिण भारत में स्थित है।

जिले में आर्कियन से कैनोजोइक काल के शैल संरचनास्तर व्यापक रूप से विद्यमान हैं। पुरातन काल के शैल प्रकार आर्कियन काल के अंतर्गत ईस्टर्न घाट महासमूह व बेंगपाल समूह के शैल प्रकारों द्वारा दर्शित हैं। ईस्टर्न घाट महासमूह के शैल प्रकार जिले के दक्षिण पूर्वी भागों में व्याप्त है तथा विभिन्न प्रकार के नाइसेज, खोन्डालाइट, कैल्क-ग्रेनुलाइट, एम्फीबोलाइट (पिलो मेटाबेसाल्ट), बायोटाइट शिस्ट, मैग्नेटाइट क्वार्टजाइट, क्वार्टजाइट तथा फीलाइट, से युक्त है। बेंगपाल समूह के शैल प्रकार जिले के दक्षिणी व पूर्वोत्तर भागों में बुन्देली/डोंगरगढ़ ग्रेनीटायड में अवशेष के रूप में पाये जाते हैं तथा ग्रेनोडायोराइट-टोनालाइट नाइस, बायोटाइट नाइस व मिग्मेटाइट जिस में क्वार्टजाइट, एम्फीबोलाइट, स्तरित मैग्नेटाइट क्वार्टजाइट एन्थोफाइलाइट शिस्ट, पायरोक्लीन ग्रेनुलाइट, उच्च श्रेणी के कायान्तरित गैब्रो के खण्ड/अव्यव पाये जाते हैं, से दर्शित है।

ग्रेनीटायडस बायोटाइट ग्रेनाइट, बायोटाइट व हार्नब्लेन्ड ग्रेनाइट, एम्फीबोल ग्रेनाइट, ल्युकोग्रेनाइट, गेनोफायर व वैक्सी ग्रेनाइट प्रकार के हैं। ग्रेनीटायड के अंतर्गत एक विशिष्ट लिथो इकाई-माइक्रोग्राफिक टेक्सचर से युक्त ग्रेनोफायर को चिन्हित किया गया है। मध्य प्रोटरोजोइक काल के नूतन भेदक जैसे गैब्रो व डोलेराइट डाइक, क्वार्टज व पेग्मेटाइट शिरार्ये ईस्टर्न घाट महासमूह, सोनाखान ज्वालामुखीय-उवसादीय शैल कर्मों तथा ग्रेनीटायडस को भेदते हैं।

संरचना स्तर के शैलप्रकार कांग्लोमिरेट, आर्कोज व बालूपत्थर से युक्त है। इसके आउटलायर जिले के दक्षिणी भागों में ग्रेनाटायडस के अन्दर व्याप्त हैं। कुल्हारीघाट संरचना स्तर के शैलप्रकार कैल्क-आर्जिलाइट फेसीज प्रकार के हैं तथा चूनापत्थर, डोलोमाइट व चर्ट तथा शैल के अंतःस्तरों से युक्त है। गलीघाट संरचना स्तर के शैल प्रकार एरेनितिक से आर्कोजिक बालूपत्थर व ग्रिटी, पेब्ली स्तरों सहित, लिट्ट पत्थर, शैल तथा शैल-सिल्ट पत्थर अंतःस्तरों से युक्त है। तारझर संरचना स्तर के शैलप्रकार सिल्टापत्थर, शैल व बालूपत्थर से युक्त है। लिंग डोंगरी संरचना स्तर के शैल प्रकार लौह युक्त बालूपत्थर व आर्थोक्वार्टजाइट से युक्त है।

रायपुर समूह के शैल प्रकार 6 संरचना स्तरों जैसे - चारमूरिया, गुन्डरदेही, चण्डी, तरेन्गा, हिरी व मनियारी में विभाजित किया गया है जिसमें से गरियाबंद जिले के बासीन, बरमाठा ग्रामों में चरमूरिया संरचना के शैल प्रकार प्रमुखतः कार्बोनेट प्रकृति के हैं।


कैनोजोइक काल के लैटेराइट के निक्षेप चन्द्रपुर बालूपत्थर के ऊपर जिले के मध्य भाग में व्याप्त है।

## खनिज

खनिज संपदा :-जिले की आर्थिक खनिज संपदा सुदृढ़ है। जिले में प्रमुख खनिज भण्डार/प्राप्तिस्थलों के स्वरूप में मुख्यतः एलेक्जेंडराइट, बेरिल, मृदा, कोरुण्डम, हीरा, गार्नेट, चूनापत्थर, (फर्शीपत्थर के रूप में) के भण्डार चिन्हित किये गये हैं। इदागाँव के समीप एलेक्जेंडराइट

के प्राप्तिस्थल पेग्मेटाइट शिराओं में है। दोतापुर में बेराइट पाया गया है। बेरिल लातापारा में पाया गया है। सिंगारपुर में टेराकोटो मृदा के भण्डार व्याप्त है। देवभाग क्षेत्र में ईस्टर्न घाट महासमूह के शैलप्रकारों में कोरण्डम के भण्डार व्याप्त है। हीरे के प्राप्ति स्थल नदियों के जलोढकों (प्लेसर) में, पहाड़ी ब्लानों पर विस्तृत मृदा में तथा किम्बरलाइट के डायट्रिम में पयालीखण्ड, बेहराडी व कोदामाली क्षेत्र में चिन्हित किये गये है। देवभोग, धूपकोट, गोहेकला व लातापारा के निकट गार्नेट व औद्योगिक श्रेणी के बार्ट के प्राप्तिस्थल है। कोइतपदर व लिमपारा के समीप खेण्डालाइट में ग्रेफाइट के स्पेक व स्ट्रिंजर व्याप्त है। अमलीपाड़ा व उसरीजोर के समीप पेग्मेटाइट व गुलाबी ग्रेनाइट में मॉलीब्डेनम के स्पेक पाये जाते है।

GEOLOGY & MINERALS





**GENERAL INDEX**

-  State boundary
-  District boundary
-  Water table
-  Height of triangulated station
-  Settlement
-  Drainage (flow) stream
-  Height of triangulated station
-  Height of triangulated point
-  Reservoir

**STRUCTURAL INDEX**

-  Confirmed contact
-  Inferred contact
-  Height of triangulated station
-  Height of triangulated point
-  Reservoir
-  Height of triangulated station
-  Height of triangulated point
-  Height of triangulated point
-  Reservoir
-  Reservoir
-  Height of triangulated station
-  Height of triangulated point
-  Height of triangulated point
-  Reservoir
-  Reservoir

**MINERAL INDEX**

-  Amethyst
-  Barite
-  Beryl
-  Clay
-  Corundum
-  Diamond
-  Dolomite
-  Garnet
-  Graphite
-  Limestone
-  Molybdenum
-  Potash

**MAP SHOWING GEOLOGY AND MINERAL DETAILS OF GARIYABAND DISTRICT**

**जिले की अतिरिक्त जानकारी**

**(क) गरियाबंद जिले के नदियों का ब्यौरा व बालू के अन्य स्रोत**

**जिले की नदियां** - पैरी नदी इस नदी का उदगम स्थल मैनपुरी विकास खण्ड मुख्यालय से लगभग 3 किलोमीटर दूर स्थिर भाटीगढ पहाड़ी है। मैनपुर एवं गरियाबंद विकासखण्ड से प्रवाहित होते हुए फिगेंश्वर विकासखण्ड में स्थित राजिम में महानदी में समाहित हो जाती हैं। गरियाबंद विकासखण्ड के ग्राम पंटो के पास सोंदुर नदी में मिलती हैं।

सोंदुर नदी गरियाबंद और धमतरी जिला की सीमा रेखा बनाते हुए प्रवाहित होती हैं। जो ग्राम **(ख) गरियाबंद जिले के बालू या पत्थरों की उपलब्धता या समग्र संसाधन।**

गरियाबंद जिले में प्रवाहित होने वाले नदियों में भरपूर मात्रा में साधारण रेत के भण्डार उपलब्ध है जिसका उपयोग जिले साथ-साथ समीपवर्ती जिलों में भी किया जाता है। नदी किनारे के गांव में भी फर्शीपत्थर की उपलब्धता चिन्हित किये गये है।

**(ग) गरियाबंद जिले के विद्यमान रेत खनन पट्टों के ब्यौरे तथा समग्र संसाधन।** मोहेरा एवं पंटो के पास पैरी नदी में मिल जाती हैं।

**जिला गरियाबंद में अधिसूचित रेत खदानों की सूची:-**

क्र	रेत खदान का नाम एवं ग्राम का नाम	संबंधित ग्राम पंचायत का नाम	खसरा न.	रकबा	तहसील	नदी का नाम	घोषित	संचालित	पर्यावरण सम्मति की स्थिति	अवधि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	नगर पंचायत राजिम	नगर पंचायत राजिम	1	5.50 हे	राजिम	महानदी	हां	बंद	समाप्त	16.10.2013 से 15.10.2015
2	नगर पंचायत राजिम	नगर पंचायत राजिम	1	5.00 हे	राजिम	महानदी	हां		नहीं	प्रचलन
3	पितईबंद 1	ग्राम पंचायत पितईबंद	56	6.50 हे	राजिम	महानदी	हां	बंद	समाप्त	12.01.2016 से 11.01.2016
4	पितईबंद 2	ग्राम पंचायत पितईबंद	1	04.90 हे	राजिम	महानदी	हां		नहीं	प्रचलन
5	पितईबंद 3	ग्राम पंचायत पितईबंद	176	04.90 हे	राजिम	महानदी	हां		नहीं	प्रचलन
6	बकली	ग्राम पंचायत बकली	1	5.00 हे	राजिम	महानदी	हां		नहीं	नवीनीकरण
7	सोनासिल्ली	ग्राम पंचायत सोनासिल्ली	430	5.29 हे	राजिम	सूखानदी	हां	बंद	समाप्त	06.04.2016 से 05.04.2018
8	बोरिद क्रमांक 1	ग्राम पंचायत बोरिद	91	6.00 हे	राजिम	सूखानदी	हां	बंद	समाप्त	28.04.2015 से 27.04.2017
9	बोरिद क्रमांक 2	ग्राम पंचायत बोरिद	91	6.00 हे	राजिम	सूखानदी	हां	बंद	समाप्त	06.11.2015 से 05.11.2017
10	कोदोबत्तर 1	ग्राम पंचायत कोदोबत्तर	179	9.00 हे	गरियाबंद	पैरीनदी	हां	बंद	समाप्त	27.05.2016 से 26.07.2018
11	कोदोबत्तर 2	ग्राम पंचायत कोदोबत्तर	179 235	10.00 हे	गरियाबंद	पैरीनदी	हां	संचालित	समाप्त	24.03.2017 से 23.03.2019
12	कोपरा 1	ग्राम पंचायत कोपरा	3756	5.05 हे	राजिम	पैरीनदी	हां	बंद	समाप्त	14.03.2016 से 13.03.2018
13	कोपरा 2	ग्राम पंचायत कोपरा	5576	12.05 हे	राजिम	पैरीनदी	हां	बंद	समाप्त	17.03.2016 से 16.03.2018
14	कोपरा 3	ग्राम पंचायत कोपरा	1	4.70 हे	राजिम	पैरीनदी	हां		नहीं	प्रचलन
15	सरकड़ा	ग्राम पंचायत सरकड़ा	1	1.50 हे	राजिम	पैरीनदी	हां		नहीं	प्रचलन
16	सरकड़ा	ग्राम पंचायत सरकड़ा	367	4.90 हे	धुरा	सूखानदी	हां	बंद	समाप्त	06.01.2014 से

17	बिडोरा	ग्राम पंचायत सरकडा	536	4.90 हे	छुरा	सूखानदी	हां	-	नहीं	05.01.2017
18	चैबेबाधा	ग्राम पंचायत चैबेबाधा	147	12.00 हे.	राजिम,	पैरीनदी	हां	बंद	समाप्त	09.02.2016 से 08.02.2018
19	बारूका क्रमांक 1	ग्राम पंचायत बारूका	4	18.00हे	गरियाबंद	पैरीनदी	हां	बंद	समाप्त	02.06.2016 से 01.06.2018
20	बारूका क्रमांक 2	ग्राम पंचायत बारूका	4	10.00हे	गरियाबंद	पैरीनदी	हां	बंद	समाप्त	26.01.2015 से 25.11.2017
21	बहेराबुडा	ग्राम पंचायत बहेराबुडा	574	10.00हे	गरियाबंद	पैरीनदी	हां	बंद	समाप्त	09.02.2016 से 08.02.2018
22	परसदाकला	ग्राम पंचायत परसदाकला	7	10.00हे	राजिम,	सूखानदी	हां	बंद	समाप्त	06.11.2015 से 05.11.2017
23	परसदाजोशी	ग्राम पंचायत परसदाजोशी	1	4.80 हे	राजिम,	महानदी	हां	बंद	समाप्त	26.11.2015 से 25.11.2017
24	तरा	ग्राम पंचायत तरा	1	5.00 हे	राजिम,	पैरीनदी	हां	-	नहीं	नवीनीकरण
25	पर्परी (भेण्डी) 01	ग्राम पंचायत भेण्डी	676	13.00 हे	राजिम,	सूखानदी	हां	बंद	समाप्त	21.07.2016 से 20.08.2018
26	पर्परी (भेण्डी) 02	ग्राम पंचायत भेण्डी	8	4.80 हे.	राजिम,	सूखानदी	हां	संचालित	समाप्त	26.10.2016 से 29.10.2018
27	देवगांव	ग्राम पंचायत पिपरहठडा	340	04.80 हे	छुरा	सूखानदी	हां	-	नहीं	प्रचलन
28	पोलकरा	ग्राम पंचायत सिरीकला	477	4.64 हे	राजिम,	सूखानदी	हां	-	नहीं	प्रचलन
29	सिंधोरी	ग्राम पंचायत सिंधोरी	1405	4.80 हे.	राजिम	पैरीनदी	हां	-	नहीं	प्रचलन
30	श्यामनगर	ग्राम पंचायत श्यामनगर	1	4.80 हे.	राजिम	पैरीनदी	हां	-	नहीं	प्रचलन
31	पसोद	ग्राम पंचायत पसोद	373	4.80 हे.	राजिम	महानदी	हां	-	नहीं	प्रचलन
32	पुरनापानी	ग्राम पंचायत पुरनापानी	1	4.10 हे	देवभोग	तेलनदी	हां	-	नहीं	प्रचलन
33	तचकेरा	ग्राम पंचायत तचकेरा	21	4.81 हे.	राजिम	बघनई नदी	हां	-	नहीं	प्रचलन
34	कुरूसकेरा	ग्राम पंचायत कुरूसकेरा	1	5.00 हे	राजिम	महानदी	हां	-	नहीं	प्रचलन
35	बरोण्डा	ग्राम पंचायत बरोण्डा	162	4.99 हे	राजिम	पैरीनदी	हां	-	नहीं	प्रचलन
36	कुकदा	ग्राम पंचायत कुकदा	1205	05.00 हे	छुरा	पैरीनदी	हां	-	नहीं	प्रचलन
37	कुटेना	ग्राम पंचायत कुटेना	1	4.80 हे	छुरा	पैरीनदी	हां	-	नहीं	प्रचलन
38	हथखोज	ग्राम पंचायत हथखोज	101	18.00 हे	राजिम,	महानदी	हां	संचालित	समाप्त	05.05.2017 से 04.05.2019
39	हथखोज	ग्राम पंचायत हथखोज	101	4.80 हे	राजिम,	महानदी	हां	-	नहीं	प्रचलन
40	रावड़	ग्राम पंचायत रावड़	1	6.00 हे	राजिम,	महानदी	हां	संचालित	समाप्त	28.07.2017 से 27.07.2019
41	कोसमखुटा	ग्राम पंचायत कोसमखुटा	864	6.00 हे	राजिम,	सूखानदी	हां	संचालित	समाप्त	28.07.2017 से 27.07.2019
42	नगर पंचायत फिंगेश्वर	नगर पंचायत फिंगेश्वर	864] 865	11.00 हे.	राजिम,	सूखानदी	हां	संचालित	प्राप्त	22.01.2018 से 21.01.2020
43	मजरकट्टा	ग्राम पंचायत मजरकट्टा	1	2.80 हे	गरियाबंद	पैरीनदी	हां	संचालित	प्राप्त	05.03.2018 से 04.03.2020
44	कुम्हईकला	ग्राम पंचायत कुम्हईकला	1025	6.00 हे	देवभोग	तेलनदी	हां	संचालित	प्राप्त	05.03.2018 से 04.03.2020
45	देवसरा	ग्राम पंचायत करवाली	232	4.85 हे	छुरा	सूखानदी	हां	संचालित	प्राप्त	05.03.2018 से 04.03.2020
46	अकलवारा	ग्राम पंचायत अकलवारा	1	4.86 हे.	छुरा	सूखानदी	हां	संचालित	प्राप्त	05.03.2018 से 04.03.2020
47	पोखरा	ग्राम पंचायत पोखरा	1	15.00 हे.	राजिम,	महानदी	हां	बंद	नहीं	-
48	छुरा	ग्राम पंचायत छुरा	501	05.24 हे.	छुरा	सूखानदी	हां	बंद	नहीं	-
49	मातगांव	ग्राम पंचायत मातगांव	1025	06.00 हे.	गरियाबंद	पैरीनदी	हां	बंद	नहीं	-

**मुख्य नदियों के विवरण सहित निकासी प्रणाली**  
**Salient Features of Important River and Streams**  
**Dist:- Gariaband (C.G)**

S.no.	Name of the River or Stream	Total length in the distric (in Km)	Place of Origin	Altitude at Origin	Portion of the River or Stream Recommended for Mineral Concession	Length of area recommend ed for mineral concession (in Kilometer)	Average width of area recommended for mineral concession (in meter)	Area recommended for mineral concession (in square meters)	Mineabl mineral potential (in metri tonne)(60' of total mineral potential
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Mahanadi	18	Shringi Rishi Parvat Sihawa	486	10 to 15 km	10	400	4X10 <sup>6</sup>	10.23X10 <sup>6</sup>
2	Pairi Nadi	92	Bhathigarh Gariaband	493	50 to 70 Km	20	150	3 x 10 <sup>6</sup>	14X10 <sup>6</sup>
3	Sukha Nadi	96	Malewa Donger	290	10 to 20 Km	20	150	4.50 x 10 <sup>6</sup>	14X10 <sup>6</sup>
4	Sondhhur	43	Navrangpur Odissa		10 to 30 km	20	150	3 x 10 <sup>6</sup>	14X10 <sup>6</sup>
5	Baghnai	45	Ghungutti Donger	275	5 to 10 Km	10	150	1.35 x 10 <sup>6</sup>	0.36X10 <sup>6</sup>
6	Tel Nadi	11	Koraput Odissa	457	5 to 8 km	6	100	0.6x 10 <sup>6</sup>	0.925X10 <sup>6</sup>

### Drainage system with description of main river

S.no.	Name of the River	Area drained. (sq. Km)	% Area Drained in the District
1	Mahanadi	2335.63	2.03%
2	Pairi Nadi	3050.00	60%
3	Sukha Nadi	664.72	100%
4	Sondhhur	872.36	25.29%
5	Baghnai	357.10	100%
6	Tel Nadi	22818.00	5%

### Mineral Potential

<u>Boulder (MT)</u>	<u>Bajari (MT)</u>	<u>Sand (MT)</u>	<u>Total Mineable Mineral Potential (MT)</u>
1	2	3	4
-	-	10.23X10 <sup>6</sup>	10.23X10 <sup>6</sup>
-	-	14X10 <sup>6</sup>	14X10 <sup>6</sup>
-	-	14X10 <sup>6</sup>	14X10 <sup>6</sup>
-	-	14X10 <sup>6</sup>	14X10 <sup>6</sup>
-	-	0.36X10 <sup>6</sup>	0.36X10 <sup>6</sup>

## कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) गरियाबंद, छत्तीसगढ़

कलेक्टर परिसर (कम नं 73, प्रथम तल), e-mail: mininggariband@gmail.com

// आदेश //

क्रमांक 52/ख.लि./न.क्र. /2023-24

गरियाबंद, दिनांक 29/01/2024


सचिव, छत्तीसगढ़ शासन खनिज साधन विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर अटल नगर के पत्र क्रमांक एफ 7-7/2004/XII दिनांक 15.01.2024 एवं विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन खनिज साधन विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर अटल नगर के पत्र क्रमांक एफ 7-7/2004/XII दिनांक 08.09.2023 के निर्देशानुसार खनिजों के अवैध उत्खनन/परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु कॉलम 03 में चिह्नंकित संवेदनशील क्षेत्र, निम्नानुसार दल का गठन किया जाता है।

क.	अनुभाग	पदाधिकारी का नाम	चिह्नंकित संवेदनशील क्षेत्र
	1	2	3
01	राजिम	1 श्री धनंजय सिंह नेताम, अनु. विभा. अधि. (राजस्व) राजिम, 8319952885 2 श्री रमेश कुमार मेहता, तहसीलदार राजिम 7974149272 3 श्री भोलासिंह, थाना प्रभारी राजिम 7772933205 4 श्री फागुलाल नागेश, सहायक खनि अधिकारी, 9424243138 5 सुभाष चंद्र साहू, खनि निरीक्षक, 8103628838 6 श्री रविन्द्र ठाकुर, जिला परिवहन अधिकारी, गरियाबंद, 7587812183	सिंघौरी, परसदाजोशी, रावड़, पितईबंद क्षेत्र
02	राजिम	1 श्री खोमन घुव, नायब तहसीलदार फिगेश्वर 9424235416 2 श्री जितेन्द्र कुमार विजयवार, उप निरीक्षक थाना फिगेश्वर 9479190651 3 श्री फागुलाल नागेश, सहायक खनि अधिकारी, 9424243138 4 श्री सुभाष चंद्र साहू, खनि निरीक्षक 8103628838 5 श्री रविन्द्र ठाकुर, जिला परिवहन अधिकारी, गरियाबंद, 7587812183	हथखोज, बिडोरा, पोलकर्वा क्षेत्र
03	छुरा	1 श्री विशाल कुमार महाराणा, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) गरियाबंद/छुरा 9589219993 2 श्री योगेश सिंह राजपूत, नायब तहसीलदार छुरा, 9926684498 3 श्री दिलीप मेश्राम, उप निरीक्षक, थाना छुरा, 8319558621 4 श्री फागुलाल नागेश, सहायक खनि अधिकारी, 9424243138 5 श्री सुभाष चंद्र साहू, खनि निरीक्षक 8103628838 6 श्री रविन्द्र ठाकुर, जिला परिवहन अधिकारी, गरियाबंद, 7587812183	कुकदा, कुटेना, सरकड़ा छुरा क्षेत्र
04	गरियाबंद	1 श्री विशाल कुमार महाराणा, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) गरियाबंद/छुरा 9589219993 2 श्री प्रवीण पोर्ते, नायब तहसीलदार 7879842733 3 श्री कृष्णा प्रसाद जांगड़े, निरीक्षक, थाना प्रभारी गरियाबंद, 9479217912 4 श्री फागुलाल नागेश, सहायक खनि अधिकारी,	सम्पूर्ण गरियाबंद तहसील क्षेत्र

		9424243138 5 श्री सुभाष चंद्र साहू, खनि निरीक्षक 8103628838 6 श्री रविन्द्र ठाकुर, जिला परिवहन अधिकारी, गरियाबंद, 7587812183	
05	मैनपुर	1 श्री हितेश पिस्टा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मैनपुर 9981015696 2 श्री सीताराम कंवर, तहसीलदार, मैनपुर 6266726535 3 श्री शिवशंकर हुर्ला, निरीक्षक थाना मैनपुर, 7000928710 4 श्री फागुलाल नागेश, सहायक खनि अधिकारी, 9424243138 5 श्री सुभाष चंद्र साहू, खनि निरीक्षक 8103628838 6 श्री रविन्द्र ठाकुर, जिला परिवहन अधिकारी, गरियाबंद, 7587812183	सम्पूर्ण मैनपुर क्षेत्र दबनई नाला
06	मैनपुर	1 श्री रमाकांत कंवर, नायब तहसीलदार 9669274779 2 श्री अमृत लाल साहू, निरीक्षक थाना अमलीपदर, 9479167249 4 श्री फागुलाल नागेश, सहायक खनि अधिकारी, 9424243138 5 श्री सुभाष चंद्र साहू, खनि निरीक्षक 8103628838	अमलीपदर क्षेत्र
07	देवमोग	1 सुश्री अर्पिता पाठक, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवमोग 8770918864 2 श्री गेंदलाल साहू, तहसीलदार, देवमोग 7697807962 3 श्री गीतमचंद गावड़े निरीक्षक थाना देवमोग, 9424170900 4 श्री फागुलाल नागेश, सहायक खनि अधिकारी, 9424243138 5 श्री सुभाष चंद्र साहू, खनि निरीक्षक 8103628838 6 श्री रविन्द्र ठाकुर, जिला परिवहन अधिकारी, गरियाबंद, 7587812183	सम्पूर्ण देवमोग क्षेत्र

उपरोक्तानुसार दल आबंटित क्षेत्र में सतत् मानिट्रिंग कर अवैध उत्खनन/परिवहन किये जाने की स्थिति में शासन के उपरोक्त उल्लेखित निर्देशानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।  
यह आदेश तत्काल प्रभावशील है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

  
कलेक्टर


जिला-गरियाबंद (छ.ग)

पृ. क्रमांक 793/ख.लि./म.क्र. /2023-24

गरियाबंद, दिनांक 29/01/2024

प्रतिलिपि,

1. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन खनिज साधन विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर अटल नगर जिला-रायपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ प्रेषित।
2. संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, छ.ग. इन्द्रावती भवन, खण्ड-04, प्रथम एवं द्वितीय तल, नवा रायपुर, जिला-रायपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ प्रेषित।
3. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गरियाबंद को सूचनार्थ।
4. सर्व संबंधित को .....  
.....को सूचनार्थ एवं पालानार्थ।

  
कलेक्टर

जिला-गरियाबंद (छ.ग)

छत्तीसगढ़ शासन  
खनिज साधन विभाग  
मंत्रालय

[नहर]

महानदी मवन, नवा रायपुर अटल नगर-492 002

क्रमांक एफ 7-7/2004/XII,  
प्रति.

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक

समस्त कलेक्टर  
जिला-.....  
छत्तीसगढ़।

T.L 7 Days 15  
Adm/MO  
Pubhp

15 JAN 2024  
जिला 12/11/2023  
15 JAN 2024  
OP

विषय :- प्रदेश में रेत एवं अन्य खनिजों के अवैध उत्खनन/परिवहन/प्रसारण पर प्रभावी  
रोकथाम करने बाबत।  
संदर्भ :- इस विभाग के समसंख्यक निर्देश दिनांक 06.09.2023.

—:0:—

कृपया उपरोक्त विषयक माननीय उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़ द्वारा याधिका क्रमांक W.P.(PIL) No. 21/2020 एवं W.P.(PIL)No.66/2023 में पारित अंतरित आदेश दिनांक 09.01.2024 के परिपालन में पूर्व में जारी संदर्भित निर्देश का कड़ाई से पालन करें। सुलभ संदर्भ हेतु छायाप्रति संलग्न है।

2/ उक्त निर्देश की कंडिका-4.1, 4.5 एवं 4.6 द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में निम्नानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें :-

2.1 प्रदेश के प्रत्येक जिले में खनिजों के अवैध उत्खनन/परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण करने हेतु प्रदेश के प्रत्येक जिलों में खनिजों के अवैध उत्खनन/परिवहन के संवेदनशील क्षेत्रों का चिह्निकन कर क्लस्टर बनाये जाने तथा उस पर नियंत्रण एवं सक्षम कार्यवाही किये जाने हेतु जिला स्तर पर राजस्व/पुलिस/खनिज विभाग के अधिकारियों की संयुक्त समिति गठित कर क्लस्टरवार खनिजों के अवैध उत्खनन/परिवहन पर नियंत्रण हेतु जिम्मेदारी सुनिश्चित कर मॉनिटरिंग हेतु इयूटी लगाये जाये।

3/ अतः उक्त निर्देश का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित करें।  
संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

( पी० दयानंद )  
सचिव

छत्तीसगढ़ शासन  
खनिज साधन विभाग

पु0क्रमांक एफ 7-7/2004/XII,

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक

प्रतिलिपि :-

15 JAN 2024

1. मुख्य सचिव के विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, महानदी मवन, नवा रायपुर, अटल नगर,
2. संचालक, भौतिकी तथा खनिकर्म छत्तीसगढ़, इन्द्रावती मवन, ब्लॉक-डी, द्वितीय तल, नवा रायपुर, अटल नगर,
3. उपसंचालक (खनि प्रशा.)/खनि अधिकारी/सहा. खनि अधिकारी, जिला-..... 00300 की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सचिव

छत्तीसगढ़ शासन  
खनिज साधन विभाग

उत्तीरगढ़ विभाग  
खनिज संचयन विभाग  
मंत्रालय  
गङ्गागढ़ी गण, गंगा रायपुर अटल गण-402 002

06 SEP 2023

क्रमांक एफ 7-7/2004/XII,  
प्रति,

गंगा रायपुर अटल गण, दिनांक

समस्ता घासेक्टर

जिला-

उत्तीरगढ़।

विषय :- प्रदेश में रेत एवं अन्य खनिजों के अवैध उत्खनन/परिवहन/भण्डारण पर प्रभावी रोकथाम करने महत्वपूर्ण निर्देश जारी करने का मत।

संदर्भ :- माननीय उच्च न्यायालय उत्तीरगढ़, बिसारापुर के राक्षस दायर याचिका क्रमांक W.P.(PIL)No. 66/2023 तथा याचिका क्र. W.P.(PIL) No. 21/2020 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश दिनांक 04.08.2023 एवं 22.08.2023.

---0---

माननीय उच्च न्यायालय उत्तीरगढ़ द्वारा पारित अंतरिम आदेश दिनांक 04.08.2023 एवं 22.08.2023 की छायाप्रति संलग्न है। अंतरिम आदेश दिनांक 04.08.2023 के परिपालन में संचालनालय मौजिगी तथा खनिकार्य उत्तीरगढ़ द्वारा जारी निर्देश क्रमांक/6539-71/रेत (मूल)/म.क्र. 38/1996, दिनांक 16.08.2023 (छायाप्रति संलग्न) के माध्यम से रेत एवं अन्य खनिजों के अवैध उत्खनन/परिवहन/भण्डारण के प्रकरणों में प्रभावी रोकथाम हेतु खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा-21 में उल्लिखित प्रावधानों के तहत कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

2/ माननीय उच्च न्यायालय उत्तीरगढ़ द्वारा पारित अंतरिम आदेश दिनांक 22.08.2023 के परिपालन में अवगत होयें कि- रेत एवं अन्य खनिजों के अवैध उत्खनन/अवैध परिवहन/ अवैध भण्डारण के प्रकरणों में प्रभावी रोकथाम हेतु खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 में विहित प्रावधानांतरगत अधिनियम की विभिन्न धारा-4(1), धारा-4(1क), धारा-21(1), धारा-21(2), धारा 21(3), धारा-21(4), धारा-21(4क), 21(5), धारा-22, धारा-23(क) में उपबंधित है।

3/ उपरोक्तानुसार स्पष्ट है कि अवैध उत्खनन की रोक धाम के लिये खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा-4(1) एवं 4(1)(क) के उल्लंघन पर धारा-21 में प्रावधान उपबंधित है।

परन्तु यह देखने में आया है कि अवैध उत्खनन/अवैध परिवहन/अवैध भण्डारण के अधिकांश प्रकरणों में धारा-23(क) अनुसार प्रकरणों का प्रथम किया जाकर धारा-21(5) अनुसार समझौता शर्ति वसूल किया जाता है, जिसे माननीय न्यायालय द्वारा ऐसे कार्यवाही को अपयोजित मानते हुए खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 में प्रावधानित अन्य धाराओं के तहत अभियोजन (Prosecution) की कार्यवाही किये जाने की टिप्पणी की गई है।

4/ अतः निर्देशित किया जाता है कि माननीय उच्च न्यायालय उत्तीरगढ़ द्वारा लिये गये संज्ञान के परिप्रेक्ष्य में रेत सहित समस्ता प्रकार के खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भण्डारण पर नियंत्रण एवं दोषियों के विरुद्ध टोस कार्यवाही हेतु निम्नानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें :-

- 4.1 जिले में अवैध उत्खनन प्रभावित एवं संवेदनशील क्षेत्रों को चिन्हित कर लिये जाये।
- 4.2 खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा-21(1) एवं 21(2) के तहत निर्धारित अधिकतम दण्ड जैसे- 05 वर्ष/7वर्ष का कारावास एवं अर्धदण्ड रूपये- पांच लाख एवं प्रत्येक दिन के लिये अर्धदण्ड रूपये- पचास हजार रूपये प्रावधानित है।
- ऐसे अवैध उत्खनन प्रभावित एवं संवेदनशील क्षेत्रों में उचित प्रावधानों को उल्लेख करते हुये नोटिस बोर्ड, बैनर पोस्टर लगाये जाये। समाचार पत्रों के माध्यम से भी प्रचार-प्रसार किये जायें। इतरे हेतु ग्राम पंचायत स्तर पर भी समुचित मुमादी कराया जाये एवं आवश्यक सहयोग प्राप्त किया जायें।
- 4.3 विगत वर्षों में अवैध उत्खनन, अवैध परिवहन एवं अवैध भंडारण में संलिप्त एवं आदतन व्यक्तियों की सूची बना ली जाये। आदतन व्यक्ति के द्वारा पुनः अवैध उत्खनन, अवैध परिवहन एवं अवैध भंडारण किये जाने पर प्रकरण अनिवार्य रूप से धारा-22 अनुसार माननीय सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किया जाये।
- 4.4 अवैध उत्खनन, अवैध परिवहन एवं अवैध भंडारण के प्रकरण में प्रकाश में आने पर प्रथमतः इसकी विस्तृत जांच कर ली जाये, और अपराध गम्भीर प्रकृति का पाये जाने पर अनिवार्य रूप से प्रकरण माननीय सक्षम न्यायालय के सक्षम परिवार प्रस्तुत किया जाये।
- 4.5 जिले में राजस्व, पुलिस, परिवहन एवं पर्यावरण विभाग के साथ समन्वय कर संयुक्त जांच कर कार्यवाही किया जाये।
- 4.6 अवैध उत्खनन प्रभावित/संवेदनशील क्षेत्रों को चिन्हित कर, ऐसे क्षेत्रों की विशेष निगरानी रखी जाये तथा ऐसे क्षेत्रों हेतु समस्त संभाव्य पहुँच मार्ग/मार्गों को बाधित करने हेतु बैरिकेडिंग, एंगल रॉड, ट्रेडिंग अथवा अन्य समस्त आवश्यक उपाय किया जाये।
- 4.7 किसी भी पुल/पुलिया/एनीकट एवं अन्य संरचना आदि प्रतिबंधित क्षेत्रों में अवैध खनन न हो विशेष निगरानी रखी जावे।
- 4.8 प्रत्येक माह प्रत्येक जिले में खनिजों के अवैध उत्खनन, अवैध भंडारण एवं अवैध परिवहन के विरुद्ध कार्यवाही हेतु नियमित अभियान चलाया जाए।
- 4.9 शासकीय कार्य के दौरान खनि निरीक्षक/सिपाही को यदी धारण करने तथा बर्दी अनुरूप उचित शिष्टाचार का पालन सुनिश्चित कराया जायें।
- 4.10 तत्संबंध में अन्य समस्त संभाव्य उपाय/कार्यवाही की जावे।
- 5/ अतः उक्त निर्देश का कड़ाई से पालन करें।
- संलग्न :- उपरोक्तानुसार।



( जय प्रकाश मेहता )  
विशेष सचिव  
छत्तीसगढ़ शासन  
खनिज साधन विभाग